कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

अश्विन–कार्तिक 2081, अक्टूबर 2024

'वन नेशन, वन इलेक्शन'

आज के भारत की आवश्यकता

स्वदेशी गतिविधियां

दत्तोपंत ठेंगड़ी उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम, हैदराबाद

प्रांतीय विचार वर्ग - उत्तर कर्नाटक

चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ - सेमीनार

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–32, अंक–10
अश्विन–कार्तिक 2081 अक्टूबर 2024

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

'वन नेशन, वन इलेक्शन' आज के भारत की आवश्यकता

प्रहलाद सबनानी

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा–2
'एक देश एक चुनाव' क्या और क्यों? ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

10 स्वास्थ्य
सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार ..... डॉ. अश्वनी महाजन

12 समीक्षा
स्वदेशी अनुसंधान आधारित उद्यमिता एवं स्वावलम्बन ..... डॉ. धनपतराम अग्रवाल

14 आर्थिकी
आत्मनिर्भर भारत बरास्ता 'वोकल फार लोकल' ..... अनिल तिवारी

16 आर्थिकी
भारत का विनिर्माण और प्रगति ..... के.के. श्रीवास्तव

18 अतुल्य भारत
नवनिर्माण के शिल्पकार पीएम मोदी ..... योगी आदित्यनाथ

20 श्रद्धांजलि
मानवता, देशभक्ति और बिज़नेस का बेजोड़ संगम थे 'रतन टाटा' ..... स्वदेशी संवाद

22 स्वदेशी
'राष्ट्र प्रथम' में स्वदेशी और स्वावलंबन प्रमुख नीति ..... अनिल जवलेकर

24 आजकल
जनता मांगे त्वरित न्याय ..... शिवनंदन लाल

26 पर्यावरण
भारतीय ज्ञान परम्परा में पर्यावरण शिक्षा ..... प्रो. विजय वशिष्ठ

28 बीच–बहस
'स्व के तंत्र में समाहित–राष्ट्र का परम वैभव' ..... अनुपमा अग्रवाल

30 जैव विविधता
विश्व में अग्रणी भारत की जैविक अर्थव्यवस्था ..... विनोद जौहरी

32 विभूति
राष्ट्र निर्माता – पं. दीनदयाल उपाध्याय ..... हेमेन्द्र क्षीरसागर

पाठकनामा

एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता

आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) न केवल तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह देशों के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

भारत सरकार ने एआई को बढ़ावा देने के लिए "नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन" की शुरुआत की, इसके साथ ही "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" जैसी योजनाओं ने भी एआई के विकास को गति दी है। 2023 में, भारत का एआई क्षेत्र 1 बिलियन डालर की अनुमानित कीमत का हो गया है, बीसीजी और आईटी उद्योग की शीर्ष संस्था नैसकॉम की नई रिपोर्ट के अनुसार, यह 25–35 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है और 2027 तक इसके लगभग 17 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

आज भारत में 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स एआई आधारित समाधान विकसित कर रहे हैं। इनमें से कई हेल्थकेयर, फिनटेक, और कृषि में एआई का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नासकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, एआई आधारित हेल्थकेयर सेक्टर में 2025 तक 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है। कृषि में एआई का उपयोग फसलों की बेहतर निगरानी और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है।

हाल ही में भारत सरकार ने "इंडिया एआई" पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एआई में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और देश में एआई शिक्षा और शोध को प्रोत्साहित करना है। 2023 में, भारत ने वैश्विक एआई सम्मेलनों में भी प्रमुख भूमिका निभाई और जी20 की अध्यक्षता के दौरान एआई से जुड़ी कई चर्चाओं का आयोजन किया।

एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता न केवल तकनीकी विकास को गति दे रही है, बल्कि रोजगार, शिक्षा, और आर्थिक वृद्धि के नए अवसर भी उत्पन्न कर रही है।

नमन कश्यप, शोधकर्ता, स्वदेशी शोध संस्थान

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है, इसने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिससे सभी क्षेत्रों में तेजी से और अधिक कुशल विकास हो रहा है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

इंडो–पैसिफिक के लिए भारत का दृष्टिकोण सतत विकास, आर्थिक विकास और पारस्परिक सुरक्षा के माध्यम से साझेदारी को बढ़ावा देने पर आधारित है।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत

किसानों की समस्याएं ऐसी हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर इनका समाधान कर दिया जाए तो किसानों की आय 10–20 फीसदी तक बढ़ जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, भारत

स्वदेशी जागरण मंच भारत और दुनिया के महानतम उद्योग नेताओं में से एक, पद्म विभूषण रतन नवल टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

अब भी आरसीईपी है भारत के लिए अहितकर

4 नवंबर, 2019 के दिन आरसीईपी के तीसरे शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि भारत आरसीईपी से अलग हो रहा है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आत्मा इस बात ही गवाही नहीं दे रही है कि भारत आरसीईपी के समझौते पर हस्ताक्षर करे। आरसीईपी सदस्य देश ही नहीं पूरी दुनिया इस घोषणा को लेकर चकित थी। लेकिन अगले पांच साल से भी कम समय में यह स्पष्ट हो गया है कि यह समझौता कुछ देशों, खासतौर पर चीन को छोड़कर शेष लगभग सभी देशों के लिए विनाशकारी था। ख़ास तौर पर इस समझौते का भारी दुष्प्रभाव हमारे डेरी और .षि ही नहीं तमाम उद्योगों पर भी पड़ने वाला था। उचित समय पर सही निर्णय लेकर भारत तबाही से बच गया। आरसीईपी 16 मुल्कों के बीच में एक ऐसा प्रस्तावित समझौता था, जिसमें आसियान के 10 देश, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, चीन और भारत शामिल थे। भारत को इस समझौते में शामिल होने के लिए मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई और उस सम्मेलन में तो नहीं, लेकिन बाद के नवंबर 2020 के सम्मेलन में बाकी बचे देशों ने आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

गौरतलब है कि भारत के इस समझौते से निकलने के बावजूद आरसीईपी समूह दुनिया की 30 प्रतिशत जीडीपी और 30 प्रतिशत ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद भी भारत को कभी भी इस समूह में शामिल होने का न्यौता भी दिया गया है। इस संदर्भ में विश्व बैंक ने हाल ही में यह कहा कि भारत को आरसीईपी में शामिल होने के लिए सोचना चाहिए। ऐसे में भारत में दुबारा से यह बहस छिड़ गई है कि क्या हमें आरसीईपी में वापिस शामिल होना चाहिए अथवा नहीं? भारत में विश्व बैंक के समर्थक अर्थशास्त्रियों को शायद यह बात अच्छी लगी हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के व्यापार आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि आरसीईपी में शामिल न होकर भी आज भी भारत चीन से बड़ी मात्रा में सामान आयात कर रहा है। भारत से चीन को जाने वाले निर्यात कम होने के कारण भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2020–21 में 44 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ता हुआ वर्ष 2023–24 में 85.1 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच चुका है। भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प के सामने चीन से बढ़ते हुए आयात एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं। समझ सकते है कि 2020 के बाद भारत ने तेजी से आर्थिकी संवृद्धि की है, जिसके कारण उद्योगों में कलपुर्जों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। ऐसा माना जाता है कि भारत में चीन से आने वाले 75 प्रतिशत आयात मशीनरी, थोक दवाएं, रसायन और अन्य प्रकार के उपकरण और कलपुर्जों के हैं। यह वो सामान है, जो भारत में प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या आरसीईपी से बाहर रहकर चीन से आयातों की बाढ़ को रोका जा सका या नहीं? यह प्रश्न भी उठता है कि भारत का आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में आरसीईपी से दूरी कोई काम की है भी या नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि आरसीईपी में वर्तमान में शामिल अन्य मुल्कों की क्या स्थिति है? यह भी समझना होगा कि क्या आरसीईपी समझौते के अनुरूप यदि भारत ने भी आयात शुल्क घटाए होते (आरसीईपी समझौते की शर्त थी कि उसमें शामिल मुल्कों को 90 प्रतिशत वस्तुओं पर आयातों पर शुल्क घटाकर शून्य करना होगा) तो चीन से भारत के आयातों की क्या स्थिति होती? आरसीईपी के चालू होने के बाद से चीन के साथ आसियान देशों का व्यापार घाटा वर्ष 2020 में 81.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 135.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी तरह चीन के साथ जापान का व्यापार घाटा वर्ष 2020 में 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। दक्षिण कोरिया जो दुनिया भर में आपूर्त्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण घटक माना जाता रहा है, को भी वर्ष 2024 में पहली बार चीन के साथ व्यापार घाटे का भी सामना करना पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि भारत आरसीईपी में शामिल हो गया होता तो अधिकतर आयातों पर शुल्क शून्य होने के कारण चीन से व्यापार घाटा असहनीय हो सकता था।

हमें समझने की जरूरत है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला आम तौर पर चीन केंद्रित है, और अन्य सदस्य देशों की इसमें कोई खास भागीदारी नहीं है। इससे अन्य देश कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि चीन ने विनिर्माण में बहुत बड़ी क्षमता का निर्माण किया हुआ है। इससे चीन के लिए वैश्विक बाजारों में सभी प्रकार के उत्पादों को डंप करना संभव हो जाता है। यह भी समझने की जरूरत है कि आयात शुल्कों को कम करना स्वचलित रूप से किसी देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं बना सकता, उसके लिए कई अन्य शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जीवीसी. पर शोधकर्ताओं का कहना है कि मूल्य श्रृंखला में सफल भागीदारी देश की आर्थिक ताकत, घरेलू फर्मों की अवशोषण क्षमता और घरेलू स्तर पर सक्षम वातावरण पर निर्भर करती है। सच्चाई यह है कि भूमण्डलीकरण के दौर में औद्योगिक नीति की अनदेखी के चलते, जीवीसी का लाभ उठाने में हमारी अर्थव्यवस्था तैयार नहीं। ऐसे में संभव है कि मूल्य श्रृंखला में हम मूल्य श्रृंखला में निम्न प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने वाले देश ही बन कर रह सकते हैं। देश आयात शुल्कों को उचित मात्रा में बढ़ाकर आयातों पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगाते हुए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीमों के साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में आरसीईपी जैसे समझौते की सोच अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकती है। हमें वैश्विक मूल्य श्रृंखला जैसे असत्यपूर्ण तर्कों के भुलावे में न आते हुए आरसीईपी में शामिल शेष देशों के अनुभवों के आलोक में आत्मनिर्भर भारत के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने हेतु उपयुक्त औद्योगिक नीति के निर्माण की ओर आगे बढ़ने चाहिए।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' आज के भारत की आवश्यकता

भारत आज एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय में भारत को अपने संसाधनों का उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग करना आवश्यक होगा न कि रक्षा एवं सरकारी कर्मचारी देश में बार बार हो रहे चुनाव के कार्यों में व्यस्त रहें।

–प्रहलाद सबनानी

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकसभा एवं विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार द्वारा कुछ विधानसभाओं को 1950 एवं 1960 के दशक में इनकी अवधि समाप्त होने के पूर्व ही भंग करने के चलते कुछ विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा से अलग कराने की आवश्यकता पड़ी थी, उसके बाद से लोकसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं एवं स्थानीय स्तर पर नगर निगमों, निकायों एवं पंचायतों के चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाने लगे। आज स्थिति यह निर्मित हो गई है कि लगभग प्रत्येक सप्ताह अथवा प्रत्येक माह भारत के किसी न किसी भाग में चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केवल 65 दिन ऐसे रहे हैं जब भारत के किसी स्थान पर चुनाव नहीं हुए हैं।

किसी भी देश में चुनाव कराए जाने पर न केवल धन खर्च होता है बल्कि जनबल का उपयोग भी करना पड़ता है। जनबल का यह उपयोग एक तरह से अनुत्पादक श्रम की श्रेणी में गिना जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के श्रम से किसी प्रकार का उत्पादन तो होता नहीं है परंतु एक तरह से श्रमदान जरूर करना होता है। यह श्रम यदि बचाकर किसी उत्पादक कार्य में लगाया जाये तो केवल कल्पना ही की जा सकती है कि इस श्रम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में अतुलनीय वृद्धि दर्ज की जा सकती है। अमेरिकी थिंक टैंक के एक अर्थशास्त्री के अनुसार, देश में बार बार चुनाव कराए जाने के चलते उस देश का सकल घरेलू उत्पाद लगभग एक प्रतिशत से कम हो जाता है। चुनाव कराने के लिए होने वाले खर्च पर भी यदि विचार किया जाय तो भारत में केवल लोकसभा चुनाव कराने के लिए ही 60,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं इस राशि में यदि विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं, नगर निगमों, निकायों एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव पर किए जाने वाले खर्च को भी जोड़ा जाय तो खर्च का यह आंकड़ा निश्चित ही एक लाख करोड़ रुपए के आंकडें को पार कर जाएगा।

उक्त बातों के ध्यान में आने के पश्चात केंद्र सरकार ने विचार किया है कि भारत में "वन नेशन वन इलेक्शन" के नियम को लागू किया जाना चाहिए। इस विचार को आगे बढ़ाने एवं इस संदर्भ में नियम आदि बनाने के उद्देश्य से भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में राष्ट्रपति/केंद्र सरकार को सौंप दी है। इसके बाद, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की समिति ने इस रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया है एवं इसे अब लोकसभा एवं राज्यसभा के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

किसी भी देश की लोकतंत्रीय प्रणाली में समय पर चुनाव कराना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। चुनाव किस प्रकार हों, समय पर हों एवं सही तरीके से हों, इसका बहुत महत्व होता है। परंतु देश में चुनाव बार बार होना भी अपने आप में ठीक स्थिति नहीं कही जा सकती है। विश्व के कई देशों, यथा स्वीडन, ब्राजील, बेलजियम, दक्षिण अफ्रीका, आदि में समस्त प्रकार के चुनाव एक साथ ही कराए जाने के नियम का पालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। चुनाव एक साथ कराने के कई फायदे हैं जैसे इन देशों में चुनाव कराने सम्बंधी खर्चों पर नियंत्रण रहता है। दूसरे, सुरक्षा हेतु पुलिसकर्मियों एवं चुनाव करवाने के लिए

स्थानीय कर्मचारियों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता को कम किया जा सकता है। तीसरे, देश में चुनाव एक साथ कराने से अभिशासन पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है एवं चौथे विभिन्न स्तर के चुनाव एक साथ कराने से चुनाव में वोट डालने वाले नागरिकों की संख्या में निश्चित ही वृद्धि होती है क्योंकि नागरिकों को मालूम होता है कि पांच साल में केवल एक बार ही वोट डालना है अतः वह अन्य कार्यों को दरकिनार करते हुए अपने वोट डालने के अधिकार का उपयोग करना पसंद करता है। इसी प्रकार यदि कोई नागरिक किसी अन्य नगर यथा दिल्ली में कार्य कर रहा है और उसके मुंबई का निवासी होने चलते उसे वोट डालने के लिए मुंबई जाना होता है तो पांच वर्ष में एक बार तो इस महान कार्य के लिए वह दिल्ली से मुंबई आ सकता है परंतु पांच वर्षों में पांच बार तो वह दिल्ली से मुंबई नहीं जा पाएगा। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभाओं, स्थानीय निकायों एवं पंचायतों के चुनाव अलग अलग होने से विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी, इनमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मंत्री आदि भी शामिल रहते हैं, अपना सरकारी कार्य छोड़कर चुनाव प्रचार के लिए अपना समय देते हैं। जबकि, यह समय तो उन्हें देश एवं प्रदेश की सेवा में लगाना चाहिए। इससे देश में अभिशासन की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित उक्त विशेष समिति ने यह सलाह दी है कि शुरुआत में लोकसभा एवं समस्त प्रदेशों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते है। यदि ऐसा होता है तो यह भी सही है कि देश में लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संसाधनों की भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, इसका हल किस प्रकार निकाला जाएगा इस पर भारतीय संसद में विचार किया जा सकता है। साथ ही, भारत में 6 राष्ट्रीय दल, 54 राज्य स्तरीय दल एवं 2000 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त दल हैं जिनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, भारत में अंतिम बार लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ 1960 के दशक में कराए गए थे। आज भारतीय नागरिकों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता होगी कि लोकसभा, विधान सभाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ किस प्रकार कराए जा सकते हैं ताकि उन्हें वोट डालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इन समस्याओं का हल भारतीय संसद में चर्चा के दौरान निकाला जा सकता है। यदि किसी कारण से केंद्र में लोकसभा अथवा किसी प्रदेश में विधानसभा पांच वर्ष की समय सीमा के पूर्व ही गिर जाती है तो लोकसभा अथवा उस प्रदेश की विधान सभा के चुनाव शेष बचे हुए समय के लिए पुनः कराए जा सकते हैं, ऐसे प्रावधान को कानूनी रूप प्रदान दिया जा सकता है। इससे विभिन्न राजनैतिक दलों के सांसदों एवं विधायकों पर भी यह दबाव रहेगा कि वे लोकसभा अथवा विधानसभा को समय पूर्व भंग कराने अथवा गिराने का प्रयास नहीं करें।वन नेशन वन इलेक्शन के सम्बंध में कुछ संशोधन तो देश के वर्तमान कानून में करने ही होंगे और फिर पूर्व में भी विभिन्न विषयों पर अलग अलग खंडकाल में (समय समय पर) 100 बार से अधिक संशोधन कानून में किए ही जा चुके हैं।

यह तर्क भी सही नहीं है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से भारत के नागरिक केंद्र एवं राज्यों में एक ही राजनैतिक दल की सरकार चुनने को प्रोत्साहित होंगे। परंतु, भारत का नागरिक अब पूर्ण रूप से परिपक्व एवं सक्षम हो चुका है कि वह लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव एक साथ कराए जाने पर केवल एक ही दल की सरकार को नहीं चुनेगा। देश में ऐसा कई बार हुआ है कि लोकसभा एवं विधान सभा के एक साथ हुए चुनवा में लोकसभा में एक दल के सांसद को चुना गया है एवं विधान सभा में किसी अन्य दल के विधायक को चुना गया है।

भारत आज एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय में भारत को अपने संसाधनों का उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग करना आवश्यक होगा न कि रक्षा एवं सरकारी कर्मचारी देश में बार बार हो रहे चुनाव के कार्यों में व्यस्त रहें। कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन, देश के हित में उठाया जा रहा एक मजबूत कदम है। इस विषय पर, भारत के हित में, देश के समस्त राजनैतिक दलों को गम्भीरता से विचार कर इस नियम को भारत में लागू किया जाना चाहिए। ❑❑

प्रहलाद सबनानीः सेवानिवृत्त, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर

'एक देश एक चुनाव' क्या और क्यों?

मोदी सरकार की कैबिनेट की ओर से सर्वसम्मति से 'एक देश एक चुनाव' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' को हरी झंडी दी है। इसके बाद संसद, संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के साथ सरकार आगे इस दिशा में रास्ता तय करेगी। भारत में 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा चल उठी है। हालांकि हमारे देश में 'एक देश एक चुनाव' कोई नई बात नहीं है, बल्कि आजादी के बाद शुरुआती कई सालों तक भारत में 'एक देश एक चुनाव' ही होता था यानी सभी राज्यों के विधानसभा और केंद्र सरकार बनाने के लिए लोक सभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे।

भारत जैसे बड़े देश में हर कुछ महीनों के समय में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, पूरे देश का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है, राजनीति तेज होती है, चुनाव आयोग हरकत में आता है, है, सुरक्षा सहित तमाम सरकारी इंतजाम करने होते हैं, आचार संहिता लागू होती है, और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों का क्रम बार–बार बाधित होता है।

'एक देश एक चुनाव' की धारणा में राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ होंगे ताकि आने वाले कई सालों तक निर्बाध रूप से सरकारें कार्य कर सकें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लंबे समय से इसके समर्थक रहे हैं, और कई बार इसका उल्लेख भी करते रहे हैं।

भारत में 'एक देश एक चुनाव' का इतिहास

'एक देश एक चुनाव' का विचार कम से कम 1983 से ही चला आ रहा रहा है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इस पर विचार किया था। हालांकि, 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव कराना एक आदर्श नियम था लोक सभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव 1951–52 में एक साथ आयोजित किया गया था। यह प्रथा 1957, 1962 और 1967 में हुए तीन आम चुनावों में भी जारी रही। लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के यह चक्र बाधित गया।

1970 में लोक सभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में नये चुनाव कराए गए। इस प्रकार, पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा ने पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। लोक सभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के समय से पहले विघटन और कार्यकाल विस्तार के परिणामस्वरूप, लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग–अलग चुनाव हुए और एक साथ चुनाव कराने का चक्र बाधित हुआ है।

अधिकांश देश प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए मानसिक रूप से तैयार है। अब सरकार की तरह से इसे वैधानिक जामा पहनाने हेतु आम राय बनाने की जरूरत है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

क्या है इस आइडिया पर बहस ?

कुछ विद्वान और जानकार इस विचार से सहमत हैं, तो कुछ असहमत। दोनों के अपने–अपने तर्क हैं। पहले इन तर्कों के मुताबिक इस तरह की व्यवस्था से जो फायदे मुमकिन दिखते हैं उनकी चर्चा करते हैं:

1. राजकोष को फायदा और बचत: जाहिर है कि बार–बार चुनाव नहीं होंगे, तो खर्च कम होगा और सरकार को काफी बचत होगी। और यह बचत मामूली नहीं, बल्कि बहुत बड़ी होगी। इसके साथ ही, यह लोगों और सरकारी मशीनरी के समय व संसाधनों की बड़ी बचत भी होगी।

2. विकास कार्य में तेजीः चूंकि हर स्तर के चुनाव के वक्त चुनावी क्षेत्र में आचार संहिता लागू होती है, जिसके तहत विकास कार्य रुक जाते हैं। इस संहिता के हटने के बाद विकास कार्य व्यावहारिक रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि चुनाव के बाद व्यवस्था में काफी बदलाव हो जाते हैं, तो फैसले नये सिरे से होते हैं।

3. काले धन पर लगाम : संसदीय समितियों और चुनाव आयोग की कई रिपोर्ट्स में कहा जा चुका है कि चुनाव के दौरान काले धन को खपाया जाता है। अगर देश में बार–बार चुनाव होते हैं, तो एक तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था चलती रहती है।

4. सुचारू प्रशासनः एक चुनाव होने से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा लिहाजा कहा जाता है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों का समय और काम बार– बार प्रभावित नहीं होगा, जिससे सारी संस्थाएं बेहतर ढंग से काम कर सकेंगी।

5. सुधार की उम्मीदः चूंकि एक ही बार चुनाव होगा, तो सरकारों को धर्म, जाति जैसे मुद्दों को बार–बार नहीं उठाना पड़ेगा, जनता को लुभाने के लिए स्कीमों के हथकंडे नहीं होंगे, बजट में राजनीतिक समीकरणों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना होगी यानी एक बेहतर नीति के तहत व्यवस्था चल सकती है।

ऐसे और भी तर्क हैं कि एक बार में ही सभी चुनाव होंगे तो वोटर ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए निकलेंगे और लोकतंत्र और मजबूत होगा। बहरहाल, अब आपको बताते हैं कि इस आइडिया के विरोध में क्या प्रमुख तर्क दिए जाते हैं–

1. क्षेत्रीय पार्टियां होंगी खारिजः चूंकि भारत बहुदलीय लोकतंत्र है, इसलिए राजनीति में भागीदारी करने की स्वतंत्रता के तहत क्षेत्रीय पार्टियों का अपना महत्त्व रहा है। चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह देती हैं, इसलिए 'एक देश एक चुनाव' के आइडिया से छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा क्योंकि इस व्यवस्था में बड़ी पार्टियां धन के बल पर मंच और संसाधन छीन लेंगी।

एक सर्वे के मुताबिक पाया गया कि एक साथ चुनाव हुए तो एक आम भारतीय वोटर एक ही पार्टी को राज्य और केंद्र के लिए वोट करे, इसके चांस *77* प्रतिशत होंगे। भारत में चुनावों में धन और ताकत झोंकी जाती है, इसलिए इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।

2. स्थानीय मुद्दे पिछड़ेंगेः चूंकि लोक सभा और विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं, इसलिए दोनों एक साथ होंगे तो विविधता और विभिन्न स्थितियों वाले देश में स्थानीय मुद्दे हाशिये पर चले जाएंगे। 'एक देश एक चुनाव' के आईडिया में तस्वीर दूर से तो अच्छी दिख सकती है, लेकिन पास से देखने पर उसमें कई कमियां दिखेंगी। इन छोटी–छोटी डिटेल्स को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं होगा।

3. चुनाव नतीजों में देरः ऐसे समय में जबकि तमाम पार्टियां चुनाव पत्रों के माध्यम से चुनाव करवाए जाने की मांग करती हैं, अगर एक बार में सभी चुनाव करवाए गए तो अच्छा खासा समय चुनाव के नतीजे आने में लग जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए क्या विकल्प होंगे, इसके लिए अलग से नीतियां बनानी होंगी।

4. संवैधानिक समस्याः देश के लोकतांत्रिक ढांचे के तहत यह आईडिया सुनने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन इसमें तकनीकी समस्याएं काफी हैं। मान लीजिए कि देश में केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि सभी सरकारें पूर्ण बहुमत से बन जाएं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में चुनाव के बाद अनैतिक रूप से गठबंधन बनेंगे और बहुत संभावना है कि इस तरह की सरकारें 5 साल चल ही न पाएं। फिर क्या अलग से चुनाव नहीं होंगे। यही नहीं, इस विचार को अमल में लाने के लिए संविधान के कम से कम छह अनुच्छेदों और कुछ कानूनों में संशोधन किए जाने की जरूरत पेश आएगी।

5. संसाधनों की दरकारः आबादी के लिहाज से भारत चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए जानकारों के मुताबिक यहां एक साथ सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के साथ ही संसद के लिए चुनाव करवाए जाने के लिए मौजूदा संसाधनों और मशीनरी से कम से कम दोगुने की जरूरत पेश आएगी।

क्या कहता है सर्वे

एक सर्वे के मुताबिक पाया गया कि एक साथ चुनाव हुए तो एक आम भारतीय वोटर एक ही पार्टी को राज्य और केंद्र के लिए वोट करे, इसके चांस 77 प्रतिशत होंगे। भारत में चुनावों में धन और ताकत झोंकी जाती है, इसलिए इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लगता है कि सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर गंभीर है। हालांकि सरकार के विरोधी–राजनीतिक दल जहां राज्यों में उनकी सरकारें है, इसका विरोध कर रहे हैं। केरल सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, लेकिन अधिकांश देश प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए मानसिक रूप से तैयार है। अब सरकार की तरह से इसे वैधानिक जामा पहनाने हेतु आम राय बनाने की जरूरत है। ❑❑

सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) के दौर में सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर खर्च पर लगातार सबसे बुरा असर पड़ा है। सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित हुई हैं। गौरतलब है कि 1990–91 में स्वास्थ्य (जिसमें चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, पोषण, बाल एवं विकलांग कल्याण शामिल थे) पर कुल सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.36 प्रतिशत था। हालांकि, एलपीजी से पहले के दौर में भी सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन सुविधाओं को काफी हद तक सरकारी नीति निर्धारण के केंद्र में रखा जाता था। एलपीजी नीतियों के अंतर्गत निजीकरण के आगमन के साथ ही लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाजार की ताकतों की दया पर छोड़ दिया गया। हालांकि, एलपीजी से पहले के दौर और वर्ष 2000 तक स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि एलपीजी नीतियों से पूर्व यह काफी कम मात्रा में होता था। अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी परिवार या व्यक्ति के लिए बीमारियों का इलाज हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी जेब से खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोगों की जेब से स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च न केवल मात्रात्मक रूप से बढ़ा है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में भी बढ़ा है। यह ध्यान देने योग्य है कि 1991 में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय, जिसमें कई अन्य सेवाएं भी शामिल थीं, जीडीपी का 2.36 प्रतिशत था, 2013–14 तक स्वास्थ्य पर कुल व्यय घटकर 1.15 प्रतिशत हो गया और दूसरी ओर, लोगों की जेब से स्वास्थ्य पर खर्च 2013–14 में जीडीपी के 2.6 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह उल्लेखनीय है कि एक समय स्वास्थ्य पर जेब से खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का 64.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था। यह परिस्थिति जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में गिरावट और

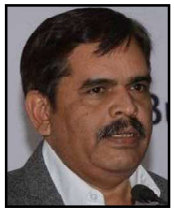

स्वास्थ्य पर होने वाले जेब से होने वाले खर्च में कई कारणों से भारी कमी आई है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की शुरुआत है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खराब होने, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की बाढ़ आने और वंचितों सहित आम लोगों में स्वास्थ्य के बारे में बढ़ती जागरूकता और चिंता का मिश्रित परिणाम थी।

स्वास्थ्य पर सरकार के खर्च में अनुपातिक कमी देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय भी रहा है, क्योंकि देश में व्याप्त गरीबी के कारण लोगों को इलाज के लिए पर्याप्त धन न होने के कारण, निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च के कारण या तो बड़ी रकम उधार लेनी पड़ती है या अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी 2015 में एक बयान में कहा, "स्वास्थ्य सेवा पर "विनाशकारी" खर्च के कारण हर साल 630 लाख लोग गरीबी का सामना करते लगते हैं, जो गरीबी को कम करने और आय में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को बेअसर कर देता है," यह समस्या केवल भारत के साथ ही नहीं है, बल्कि पूर विश्व इससे प्रभावित हुआ है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (बीएमजे) में प्रकाशित डब्ल्यूएचओ के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है, "यूरोप और मध्य एशिया में लोगों की बढ़ती संख्या को स्वास्थ्य सेवा पर इतना खर्च करना पड़ रहा है कि उनके पास अपनी अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं बचता है – जिसे 'भयावह स्वास्थ्य व्यय' कहा जाता है, जो तब होता है जब एक परिवार द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला भुगतान एक निश्चित स्तर की भुगतान क्षमता से अधिक हो जाता है। और यह अधिक से अधिक आम होता जा रहा है।"

लेकिन भारत में संतोष की बात यह है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य पर कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में निजी जेब से किया जाने वाला व्यय वर्ष 2013–14 में 64.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 तक केवल 39. 1 प्रतिशत रह गया है, जबकि सरकारी खर्च वर्ष 2013–14 में 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 48 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें तो पता चलता है कि स्वास्थ्य पर कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी व्यय 2013–14 में मात्र 1.15 प्रतिशत से बढ़कर अब 1.9 प्रतिशत हो गया है।

यह कैसे संभव हुआ?

स्वास्थ्य पर होने वाले जेब से होने वाले खर्च में कई कारणों से भारी कमी आई है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की शुरुआत है। इस योजना के तहत पात्र आबादी को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत करीब 35 करोड़ लाभार्थी हैं। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को 5 लाख रुपये तक का सुनिश्चित उपचार प्रदान किया जाता है। हालाँकि, इस योजना के तहत केवल इनडोर मरीजों (आईपीडी) का उपचार ही कवर किया जाता है, लेकिन अभी तक आउट पेशेंट (ओपीडी) सेवाओं को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जो स्वास्थ्य पर जेब से होने वाले खर्च को कम करने में भी मदद कर रहे हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हाल ही में विस्तार किया गया है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को भी शामिल किया गया है, जिससे उन्हें व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जा सके। इसका मतलब है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हों, अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों के लिए पात्र होंगे। इस योजना को 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित करने से निजी जेब से स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च और कम होगा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के अनुपात में और वृद्धि होगी। गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को 2.5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है।

विकसित देश बनने की ओर पहला कदम

समझना होगा कि जहां भारत में एक समय ऐसा आया कि स्वास्थ्य पर कुल खर्च में जेब से होने वाला खर्च लगभग 65 प्रतिशत तक पहुंच गया था और सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च जीडीपी का मात्र 1.15 प्रतिशत तक ही रह गया था, और स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में लोगों को जेब से लगभग 70 प्रतिशत तक देना पड़ता था, वहीं अब निजी जेब से होने वाला खर्च 39.1 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी के 1.9 प्रतिशत तक पहुंचने से भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों, जो मध्यम आय वर्ग और उच्च मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के समकक्ष पहुंच रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार उच्च मध्यम आय वाले देशों में निजी जेब से होने वाला स्वास्थ्य पर खर्च, कुल स्वास्थ्य पर खर्च का औसतन 31.37 प्रतिशत था, मध्यम आय वर्ग के देशों में यह लगभग 34 प्रतिशत था। जिस गति से निजी जेब से खर्च कम हो रहा है, आशा की जा सकती है कि जल्द ही इस संदर्भ में देश नई उपलब्धियां हासिल कर सकेगा। ❑❑

स्वदेशी अनुसंधान आधारित उद्यमिता एवं स्वावलम्बन

अनुसंधान तथा नवाचार भारतीय संस्कृति के मूल में है और यही कारण है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल से ही हमारे पूर्वज, ऋषि–महर्षि ज्ञान और विज्ञान की खोज तथा उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में करते आये है और यह प्रयास सतत रूप से चलता आया है। वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराण तथा हमारा साहित्यिक वांगमय इन वैज्ञानिक यंत्रों तथा सारे ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न तथ्यों की जानकारी से भरा पड़ा है। विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में हमारे ऋषियों ने ग्रह–नक्षत्रों की खोजकर खगोल शास्त्र में अनोखी जानकारियां उपलब्ध करवायी और इसी प्रकार ज्योतिषी शास्त्र तथा गणित विद्या के आधार पर विभिन्न ग्रहों की स्थिति तथा उनका मनुष्य जीवन एवं जलवायु पर प्रभाव, विभिन्न वनस्पतियों का मानव स्वास्थ्य के साथ सम्बन्ध तथा आयुर्वेद का आविष्कार किया। इनमें ऋषि सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र, ऋषि कणाद का भौतिक शास्त्र, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का गणित शास्त्र तथा वाणभट्ट का पाक–शास्त्र उल्लेखनीय है।

ज्ञान–विज्ञान के अनुसंधान की इसी प्रक्रिया में आधुनिक युग में आचार्य जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस, सी.वी. रमन, होमी भावा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम आदि विश्व विख्यात वैज्ञानिक भारत भूमि में पैदा हुए हैं। भारत शब्द ही ज्ञान के प्रकाश में रत रहने की प्रेरणा देता है। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात अलग–अलग विषयों का ज्ञान यानि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र अथवा गणित शास्त्र आदि।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति को प्रभावी ढ़ंग से लागू कर हमारी युवा पीढ़ी की मेधा और प्रज्ञा को आधार बनाकर अपनी स्वदेशी शोध और तकनीक के आधार पर स्वावलंबी उद्यमिता को मजबूत बनाना होगा।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

ज्ञान और विज्ञान की खोज द्वारा मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने का पुरुषार्थ सृष्टि के आदि काल से वर्तमान समय तक चलता रहा है और इसका प्रभाव हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन में देखने को मिलता है। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में थोड़ा सा जो अंतर है वह बुद्धि, विवेक और विचार करने की शक्ति के कारण है और इसी के आधार पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं शारीरिक और कुछ मानसिक हैं। कुछ की शारीरिक और भौतिक आवश्यकताएं ज़्यादा हैं और कुछ की मानसिक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बौद्धिक विकास का स्तर क्या है और जिस समाज में वह रहता है, उसकी मान्यताएँ क्या हैं। भारतीय मनीषियों ने पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति बताया है और उस दृष्टि से समाज के लिये निःश्रेय अभ्युदय का सिद्धांत राष्ट्र जीवन का भी होना चाहिये और इस प्रकार मानव जीवन का आधार 'धर्म' होना चाहिये। इसी सिद्धांत पर हम 'सर्वे भवन्तु सुखिन' और 'वसुधैव कुटुम्भकम्' की अवधारणा पर सारे विश्व ब्रह्मांड को 'एकम सदविप्रा बहुधा वदंति' के आधार पर सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म की दृष्टि रखते हुए सभी के हित के लिये जो उचित है, उसे धर्म मानते हैं।

स्वदेशी और 'स्व' आधारित वैचारिक अधिष्ठान के चिंतन में भी यही भारतीय दृष्टिकोण है। *'श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः'* यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 3, श्लोक 35 में है, जिसका अर्थ है कि अपने धर्म के लिए मरना श्रेयस्कर है और दूसरों के धर्म के लिए मरना भयावह है। अतः जब हम समग्र आर्थिक

विकास का चिंतन करते हैं तो हमारा उद्देश्य 'स्व' के अंदर सारे विश्व कल्याण की सोच आती है और इसी कारण हम त्याग के आधार पर उपभोग और संयम के साथ हमारे जीवन की आवश्यकताओं का निर्णय करते हैं। पर्यावरण के साथ संतुलन और सामंजस्य रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उनका उचित परिमाण में दोहन और पोषण करते हुए एक दीर्घगामी जीवन प्रणाली की अवधारणा करते हैं। तकनीकी विकास और उद्यमिता के आधार पर विकास हो, इसे हम स्वीकार करते हैं किंतु सिर्फ उपभोग के लिये प्रकृति के शोषण का हम विरोध करते हैं।

स्वदेशी अर्थनीति के मूल में और स्वदेशी से स्वावलंबन की जीवन यात्रा में हम आर्थिक संसाधनों के उपयोग में बौद्धिक संपदा के विषय में सकारात्मक सोच रखते हैं और सृजन शक्ति तथा नवाचार के आधार पर परम वैभवशील राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेते हैं। पिछले 500 वर्षों के इतिहास में हम पाते हैं कि जहां एक समय भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र रहा है वहीं सन् 1757 में ब्रिटिश शासन और उनकी साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से 1947 में राजनैतिक दृष्टि से स्वाधीन होने के बावजूद हमारे यहाँ आर्थिक विपन्नता डेरा डाले हुए है और आज भी आर्थिक रूप से पूर्णरूप से स्वाधीन होने के पथ में पिछड़ गए हैं।

सबसे अहम सवाल है कि 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के पहले तक जब सारी दुनिया कृषि और पशु पालन आधारित जीविका पर आश्रित थी, उस समय भी भारत का कपड़ा, सिल्क तथा अन्य कई शिल्प दुनिया में मशहूर थे और भारत कई शताब्दियों से दुनिया का अग्रणी राष्ट्र था। वर्ष 1757 में ब्रिटिश शासन के आने तक और उससे कई शताब्दी पूर्व से सारी दुनिया की आय का 25–30 प्रतिशत हिस्सा

भारतीय मनीषियों ने पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति बताया है और उस दृष्टि से समाज के लिये निःश्रेय अभ्युदय का सिद्धांत राष्ट्र जीवन का भी होना चाहिये और इस प्रकार मानव जीवन का आधार 'धर्म' होना चाहिये।

भारत का होता था। दुनिया के अधिकांश देशों के साथ भारत का व्यापार होता था, निर्यात ज़्यादा होता था, आयात कम होता था और व्यापार से जो आय होती थी वह सोने यानि गोल्ड तथा अन्य कीमती हीरे–जवाहरात के रूप में होती थी। भारत के मसाले सारी दुनिया में प्रसिद्ध थे।

विदेशी लुटेरों की नज़र भारत पर पड़ी और डच, पुर्तगीज़, फ्रेंच और अंत में ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के बहाने आकर फिर धोके से हुकूमत करने लगे। ऐसा अनुमान है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने आज के मूल्यांकन के आधार पर 45 ट्रिलियन अमरीकी डालर के बराबर का धन 200 वर्षों में भारत से लूटा। भारत की अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल उनकी नीतियों की वजह से हमारा वर्षों पुराना व्यापार और शिल्प नष्ट प्रायः हो गया।

औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी नीतियों के दुष्परिणाम से पूंजीवाद का जन्म हुआ और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप में साम्यवाद का जन्म हुआ। आर्थिक विषमताएँ बढ़ने लगी। यूरोपियन देशों के आपसी हितों में टकराव के फलस्वरूप दो विश्व युद्ध हुए। औपनिवेशिक सत्ता का अंत हुआ। ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्वीकरण के नये हथकंडे अपनाये। दुनिया में अमरीकी डालर का बोलबाला हो गया। इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई और हमारा हिस्सा दुनिया की कुल आय का सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही रह गया। यानि औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा औपनिवेशिक शासन पद्धति ने भारत की आर्थिक शक्ति को बिल्कुल कमजोर कर दिया। दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश एक आर्थिक दृष्टि से ग़रीब राष्ट्र के रूप में परिणित हो गया।

आज 21वीं शताब्दी में भारत के आर्थिक पुनःनिर्माण का समय आया है। आज विज्ञान और तकनीक ने पूंजीवाद की नींव को कमजोर कर दिया है। भारत के पास मानव संसाधन है, युवा शक्ति है तथा भारत अपनी प्रज्ञा और मेधा के आधार पर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिये फिर से खड़ा हो गया है। वर्ष 2047 में अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक विकसित भारत बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस विकसित भारत का मानचित्र अभी से बनाना आरम्भ हो गया है और वर्तमान में भारत दुनिया की पाँचवी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और शीघ्र ही अगले 3–4 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने वाला है।

आज बहुत से अर्थशास्त्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आर्थिक विकास के न्यायसंगत और युक्तिसंगत मापदंड क्या होने चाहिये। आज दूनिया में अमरीका तथा यूरोप में एक तरफ़ तो भौतिक दृष्टि से आर्थिक उन्नति तो बहुत हुई है किंतु आर्थिक विषमता, ग़रीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट, पर्यावरण की समस्या, भौगोलिक–राजनैतिक विद्वेष आदि से दुनिया त्रस्त है। ऐसे में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने मापदंडों को निश्चित करना पड़ेगा। जहाँ उद्यमिता और स्वावलंबन के आधार

(शेष पृष्ठ 33 पर ...)

आत्मनिर्भर भारत बरास्ता 'वोकल फार लोकल'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के लोगों से अपील की है कि हर भारतीय नागरिक देश में बने सामानों का अधिकाधिक उपयोग करें। उन्होंने सम्पन्न लोगों खासतौर पर युवाओं से कहा है कि वे विदेशों में जाकर शादी–व्याह करने की बजाए देश के भीतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे और आयोजनों में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दें। इससे देश के गरीब परिवारों को रोजगार मिलेगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा, साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रमों के लिए बने छोटे–छोटे लघु उद्योगों और स्टार्ट–अप को मदद मिलेगी।

आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के दस वर्ष पूरे होने पर 107वें एपिसोड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक टास्क देते हुए कहा कि वे महीने भर का अपना हर तरह का लेन–देन यूपीआई के जरिये ही करें। उन्होंने कहा कि वोकल फार लोकल अभियान सिर्फ त्यौहारों तक नहीं बल्कि सदैव अपनाने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल–पुथल आती है तब भी हमारे यहां कोई बड़ा संकट नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां लोग स्थानीय स्तर पर व्यापार को महत्व देते है। वोकल फार लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है।

भारत निर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की पहल की शुरआत हुई। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करना था, आर्थिक क्षेत्र में नए द्वारों को खोलना, युवाओं तक रोजगार पहुंचाना, उद्योगों को नई दिशा देना और विश्व मंच पर भारत की छवि को सुधारना था।

बीते 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया को 10 वर्ष पूरे हो गए भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य कितना पूरा हुआ और इस पहल की क्या उपलब्धियां और कमियां रही, एक विश्लेषण के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं।

मेक इन इंडिया के पीछे मानसिकता यही थी कि सरकार नीति निर्माता के साथ साथ परामर्शदाता की भूमिका भी निभाएगी, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सबके सकारात्मक प्रयास से मिलकर हासिल किया जा सके।

–अनिल तिवारी

मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना और सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था।

इस पहल के निम्नलिखित लक्ष्य थे– 1. विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 12–14 प्रतिशत तक बढ़ाना, 2. 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना, 3. 2025 तक जीडीपी के विनिर्माण का योगदान 25 प्रतिशत तक बढ़ाना, 4. व्यापार करने में आसानी पर बल देना स्टार्टअप्स और स्थापित उद्योगों के लिए कारोबारी माहौल में सुधार ले आना, 5. विश्व स्तरीय औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों के विकास पर ध्यान देना, 6. नए क्षेत्र रक्षण बीमा चिकित्सा उपकरण निर्माण और रेलवे जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए दरवाजे खोलना।

इस कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के प्रमुख कदम निम्नलिखित थे– 1. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं बनाना, 2. पीएम गतिशक्ति यानी बुनियादी ढांचे को बेहतर करना, 3. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्टार्ट करना, 4. स्टार्टअप इंडिया में सुधार लाना, 5. कर सुधार करना, 6. औद्योगिक करण और शहरीकरण पर विशेष ध्यान देना, 7. यूपीआई का विस्तार करना।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बीते वर्षों में मेक इन इंडिया ने काफी उपलब्धियां हासिल की जैसे –

1. टीकाकरण कॉविड–19 टीका की वैश्विक आपूर्ति में अग्रणी 60 प्रतिशत टीको की आपूर्ति।

2. वंदे भारत रेल गाड़ियां, स्वदेशी उच्च गति वाली रेलगाड़ियां
3. रक्षा उत्पादन आईएनएस विक्रांत का निर्माण
4. इलेक्ट्रॉनिक्स का निमार्ण 155 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है ।
5. मोबाइल फोन का 43 प्रतिशत योगदान। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है।
6. रक्षा उपकरण, जूते, जूट के सामान आदि रोजमर्रा की तरह जीवन में शामिल किए जा रहे हैं।
7. कश्मीरी बल्ले क्रिकेट में भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं।
8. अमूल ब्रांड की मांग बढ़ती जा रही है।
9. वस्त्र उद्योग द्वारा 14.5 करोड़ नौकरियां सृजित की गई।
10. खिलौना उत्पादन प्रतिवर्ष 400 मिलियन का हो चुका है।

10 वर्षों के सफर में लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि दर 2001–12 के दौरान 8.1 से घटकर 2012–23 के दौरान 5.5 प्रतिशत हो गई है। पिछले तीन दशकों में इस क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी 15–17 प्रतिशत पर स्थिर रही है, हालांकि पद्धतिगत परिवर्तनों के कारण नवीनतम जीडीपी श्रृंखला में यह थोड़ा अधिक है।

एनएसएसओ सैंपल सर्वेक्षणों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 2011–12 में 12.6 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 11.4 प्रतिशत हो गया है।

असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है, जो 8.2 मिलियन घटकर 2015–16 में 38.8 मिलियन से घटकर 2022–23 तक 30.6 मिलियन रह गया है, जैसा कि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के सर्वेक्षणों से पता चलता है। कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 2018–19 में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 45.8 प्रतिशत हो गई।

उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र से निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का पूर्ववर्ती बदलाव, स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व है। यह समय से पहले विऔद्योगीकरण का सबसे स्पष्ट संकेत है, अर्थात, उन्नत देशों की तरह औद्योगिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले।

ये प्रश्न उठता है कि भारत में औद्योगिकीकरण क्यों कम हो रहा है? सालाना 6–7 प्रतिशत की आधिकारिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के बावजूद औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि क्यों घट गई? निश्चित निवेश वृद्धि व्यावहारिक रूप से क्यों कम हो गई?

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार 2012–13 से 2019–20 तक जीवीए और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। हम समय–परीक्षणित एएसआई आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि एनएएस के आंकड़े पद्धतिगत समस्याओं के कारण अधिक अनुमानित हैं। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर आधिकारिक एनएएस–आधारित अनुमानों से बहुत कम है। इस अवधि के दौरान जीएफसीएफ की वृद्धि दर व्यावहारिक रूप से शून्य है। अप्रत्याशित रूप से, मुख्य रूप से चीन से बढ़ते आयात ने मांग को पूरा किया है ।

अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर हम विनिर्माण के क्षेत्र में इतने स्वावलंबी हो गए हैं तो फिर चीन से आयात पिछले वर्षो के मुकाबले अब बढ़ क्यों रहा है?

इसका उत्तर है, भारत की बढ़ती आबादी। भारत की आबादी विश्व में आज सबसे अधिक है। हमने चीन तक को इस मामले में पछाड़ दिया। यही कारण है की बढ़ते वस्तुओं के उपभोग के लिए हम चीन पर निर्भर है।

विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईडीबी) सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2014–15 में 142 से बढ़कर 2019–20 में 63 हो जाने के बावजूद एमआई के तहत घरेलू निवेश क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ईडीबी एक गलत राजनीति से प्रेरित सूचकांक है जिसमें बहुत कम विश्लेषणात्मक या अनुभवजन्य आधार हैं। पीछे मुड़कर देखें तो सरकार ने एक संदिग्ध सूचकांक की तलाश में छह कीमती साल को अनदेखा कर दिया

विऔद्योगीकरण को उलटने की कोशिश, घरेलू मूल्य संवर्धन और सीखने को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और औद्योगिक नीतियों को संरेखित करने के लिए औद्योगिक नीतियों पर फिर से विचार करना आवश्यक है। संरक्षण नीतियों को एक गतिशील तुलनात्मक लाभ हासिल करने को बढ़ावा देना चाहिए, न कि एक स्थिर तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए नकद सब्सिडी की पेशकश करनी चाहिए।

भारत को निवेश–आधारित विकास और तकनीकी पकड़ बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अनुकूली अनुसंधान और आयातित प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें घरेलू अनुसंधान और विकास द्वारा समर्थित होना चाहिए। तकनीकी सीमा के साथ व्यापार में मिले जोखिमों को सामाजिक बनाने के लिए सस्ती दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से वित्त बैंको के साथ–साथ "नीति बैंकों" की आवश्यकता है। क्योंकि मेक इन इंडिया के पीछे मानसिकता यही थी कि सरकार नीति निर्माता के साथ साथ परामर्शदाता की भूमिका भी निभाएगी, ताकि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सबके सकारात्मक प्रयास से मिलकर हासिल किया जा सके। ❑❑

भारत का विनिर्माण और प्रगति

विनिर्माण क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि की आधारशिला है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल को आज से 10 वर्ष पूर्व 25 सितंबर 2014 में लागू किया गया था, इसके बाद से विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। लेकिन बीते दिनों जब इस पहल के 10 वर्ष पूर्ण हुए तो एक रिपोर्ट आई, जिसमें पाया गया कि विकास दर धीमी हो रही है और अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रक्षेप पथ पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में भारत के एकीकरण को लेकर चुनौतियां बढ़ रही हैं। जीवीसी से संबंधित व्यापार जो मल्टीस्टेज व्यापार प्रक्रिया में एक देश की भागीदारी को दर्शाता है, वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में इसका योगदान सकल व्यापार का 50 प्रतिशत से अधिक है।

सकल व्यापार में जीविसी–संबंधित व्यापार का क्षेत्रीय विघटन निम्नलिखित हैः

सेक्टर	2014	2022
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	20.0	23.8
निर्माण	21.4	39.5
सेवाएँ	25.8	27.8
विनिर्माण	46.1	51.6

हालांकि जीवीसी संबंधित व्यापार में भारत की भागीदारी रूस और वियतनाम से काफी कम रही है। वियतनाम की भागीदारी 57.02 प्रतिशत (2014) और 62.8 प्रतिशत (2022) है और रूस की हिस्सेदारी 45.4 प्रतिशत (2014) और 42.02 प्रतिशत (2022) दर्ज की गई है, जबकि भारत का सकल व्यापार में जीवीसी संबंधित व्यापार की हिस्सेदारी 2014 में 41. 0 प्रतिशत और 2022 में मात्र 40.3 प्रतिशत है।

मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत में विनिर्माण गतिविधियों और निवेश को बढ़ाना है। हालांकि विनिर्माण अभी भी भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 1/5 से भी कम योगदान देता है, इस अनुपात में 2014 से बदलाव नहीं आया है। 2012 से 2022 तक भारत का प्रति व्यक्ति विनिर्माण उत्पादन 5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है लेकिन बांग्लादेश वियतनाम और चीन जैसे देश के मुकाबले हमारी विकास गति धीमी है। हालांकि भारत की विनिर्माण गतिविधि विशेष रूप से महामारी के बाद अपने कई ब्रिक्स साथी देशों की तुलना में अभी भी मजबूत बनी हुई है।

मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद के दशक में माल निर्यात में 400 बिलियन डॉलर को पार करने के बावजूद वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत के हिस्सेदारी काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।

यहां औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वर्ष–दर–वृद्धि प्रतिशत में) की तुलना दी गई हैः–

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में भारत का विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

– के.के श्रीवास्तव

देश	2019	2020	2021	2022	2023
भारत	0.6	−12.7	13.5	4.0	5.3
चीन	5.7	1.3	12.3	3.5	4.2
वियतनाम	7.8	2.6	3.4	19.7	−14.3
बांग्लादेश	9.0	−0.6	21.0	6.9	6.2

परचेंजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के अनुसार पिछले दो वर्षों में अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास के बावजूद भारत की विनिर्माण विकास दर में गिरावट आ रही है। यह मंदी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और घरेलू चुनौतियों के बीच आई है जिससे लोगों का बाजार पर विश्वास कम हुआ है। पीएमआई के प्रमुख घटक उत्पादन और नए ऑर्डर में गिरावट देखी जा सकती है जिससे स्थानीय और वैश्विक मांग नरम हो रही है। आज भारत का निर्यात बाजार चुनौतियों का सामना कर रहा है और घरेलू खपत कमजोर विदेशी मांग की पूरी तरह से भरपाई करने में सक्षम नहीं है यह दोहरा दबाव निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बन रही है।

संक्षेप में देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में अल्पकालिक और दीर्घकालिक चिंताएं बनी रहती हैं सकल घरेलू उत्पाद निर्यात और जीवीसी भागीदारी में भारत की विनिर्माण हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि नहीं देखी गई जिससे आर्थिक विकास मुद्रास्फीति और रोजगार प्रभावित हुआ है उदाहरण के लिए पिछली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8 प्रतिशत से गिरकर 6.7 प्रतिशत हो गई है लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है।

विनिर्माण में अल्पकालिक चुनौतियां और दीर्घकालिक आशावाद बना रहता है इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में धीमी गति से नियुक्तियां हो रही हैं जो दर्शाती है कि व्यवसाय अभी भी परिचालन में कमी नहीं कर रहे हैं। भारत के लिए मुख्य चुनौती यही है कि वह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाधाओं से कैसे निपटता है।

भू–राजनीतिक तनाव, बढ़ता संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता की ओर रुझान अतिरिक्त चुनौतियां पैदा तो करते हैं लेकिन घरेलू स्तर पर नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति के प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के साथ उत्तेजक विकास को संतुलित करना चाहिए भारतीय कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा के आयाम बढ़ाने होंगे और संभावित मांग में गिरावट की भरपाई के लिए नई बाजार तलाशने होंगे।

वर्तमान में घरेलू विनिर्माण को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आयात प्रतिस्थापन नेशन नई इकाइयों के लिए रेवती कॉर्पोरेट करो प्रमुख परिवहन गलियारों के पास औद्योगिक टाउनशिप के प्रस्ताव और भूमि उपयोग को आसान बनाने के लिए नीतियां तो बनाई जाती हैं इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है लेकिन क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अधिक आमूल चूल सुधारों की आवश्यकता है।

आज लोगों का यह सवाल है कि क्या भारत विनिर्माण के विकास में अपनी इच्छित भूमिका निभा पाएगा विशेष रूप से ऐसे समय में जब बिना मजबूत विनिर्माण ढांचे के भारत ने कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरण किया है। भारत दुनिया का पांचवा बड़ा विनिर्माण पावर हाउस है जो लगभग 550 अरब डालर मूल्य के समान का उत्पादन करता है जो वैश्विक विनिर्माण उत्पादन का सिर्फ तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। इतने वर्षों की आर्थिक वृद्धि के बावजूद सकल मूल्य वर्धित में इसकी हिस्सेदारी कृषि के समान 17 प्रतिशत बनी हुई है।

आज भारत 8.2 प्रतिशत की विकास दर के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है अगर यह अपनी सकल घरेलू उत्पाद और विनिर्माण को मजबूत करता है बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ता है तो जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी आज अगर यह देश हर 1.5 साल में अपनी जीडीपी में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े तो 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत 2024–25 तक 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर होगी और इस समय तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज से 10 साल पहले भारत 1.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत 6.5 प्रतिशत की विकास दर के साथ 2030–31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए 2047 तक 18000 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखना होगा इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की मौजूदा स्तर 3.36 ट्रिलियन डॉलर से 9 गुना वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना वृद्धि की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 2,392 डालर है।

आज भारत विश्व के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और यह विस्तारित भूमिका इसके आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। सरकार को मजबूत नीतियों द्वारा समर्थित विनिर्माण क्षेत्र को अब देश की प्रगति को बढ़ाने के लिए आपूर्ति और मांग को संतुलित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसके साथ ही अगर भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और विनिर्माण क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दें तो 21वीं सदी भारत की सदी हो सकती है। ❑❑

नवनिर्माण के शिल्पकार

पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर ही लिए कई बड़े निर्णय

नई विश्व व्यवस्था में आज भारत केंद्रीय भूमिका में है। बहुध्रुवीय हो चुकी विश्व राजनीति में भारत के बिना हर वैश्विक समूह अधूरा है। आपदाकाल में सहायता की आवश्यकता हो अथवा नीतिगत विषयों पर आम राय बनाने की जरूरत, दुनिया की दृष्टि भारत की ओर होती है।

बीते एक दशक में विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। युद्धग्रस्त राष्ट्र भी समाधानकारी हस्तक्षेप पर जिन पर भरोसा करते हैं, वह मोदी ही हैं। रूस और यूक्रेन के मध्य तनावपूर्ण हालात हों या पश्चिम एशिया का संकट, हर वैश्विक तनाव के समाधान हेतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत केंद्र में है। 'मोदी हैं तो मुमकिन हैं', के भाव को आज न केवल देश मानता है, बल्कि महाशक्ति देशों को भी 'मोदी की गारंटी' पर विश्वास है।

अपने संकल्पों की सिद्धि, समस्याओं के समाधान और चिरआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह देश मोदी को 'भगीरथ' के रूप में देखता है। सुदूर किसी खेत में काम कर रही महिला किसान हो या किसी साफ्टवेयर कंपनी में कुछ नया प्रयोग कर रहा युवा, सीमा पर मुस्तैद जवान हो या विदेश में प्रवासरत भारतीय, सभी को मोदी की नीति, नीयत और निर्णयों पर भरोसा है।

यही जनविश्वास मोदी को 'बड़े और कड़े' निर्णय लेने का सामर्थ्य देता है। अनुच्छेद 370 और 35–ए का हटना असंभव माना जाता था। कश्मीर में राष्ट्रध्वज जलाए जाते थे, संविधान का मखौल उड़ाया जाता था, लेकिन आज यह सब अतीत की बात है।

नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति ने कश्मीर से एक देश में 'दो निशान–दो विधान' का कलंक मिटा दिया। आज घाटी में स्थापित होते नए उद्योग, चिनाब पर बनते एफिल टावर से ऊंचे रेलवे ब्रिज के चित्र देखने को मिलते हैं। नए भारत के नए कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव के लिए तत्पर है।

आज वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की मेजबानी में संपन्न 'सेमिकान इंडिया' सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग के ग्लोबल हब बनने के अभियान का औपचारिक शुभारंभ था। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मेरा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वह सब करने वाला है।

–योगी आदित्यनाथ

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ है। भारत 'स्व से साक्षात्कार' कर रहा है। पांच सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्रीअयोध्याधाम में भगवान श्रीरामलला की प्राण–प्रतिष्ठा और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पुनरुद्धार जैसे चिरप्रतीक्षित कार्यों से भारत की आस्था गौरवान्वित हुई है। आजादी के बाद से जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को पोसने वाले दलों के दलदल में फंसे देश को 2014 के बाद मुक्ति मिली।

किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, स्वनिधि, सौभाग्य, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, मातृ वंदना जैसी योजनाओं के भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन ने सामान्य भारतीय परिवारों के जीवन को सरल बनाया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' इसी नवीन कार्यसंस्कृति का प्राण है। 'अंत्योदय से सर्वोदय' का मंत्र आत्मसात करने वाली इस व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है।

पहली बार कृषि और किसान राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। आज किसानों को फसल बीमा, एमएसपी, सब्सिडी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर ही कई बड़े निर्णय ले लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कवर प्रदान किया और लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' लागू करने का निर्णय लिया।

विगत 10 वर्षों में जनधन, आधार और मोबाइल के रूप जैम–त्रिशक्ति का उपयोग करते हुए तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करके आम आदमी को सरकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैम का आशय है, खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल, गरीबों का अधिकतम सशक्तीकरण और जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार।

पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक समुदाय भी समझ रहा है कि जो विकास स्थायी नहीं, वह वास्तविक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया है और हमारा देश इस आंदोलन के अग्रणी मार्गदर्शक के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री की यह पहल एक सामाजिक–आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी। यूपीआइ, रूपे कार्ड, डिजीलाकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग–अलग तरह के डिजिटल प्लेटफार्म्स, आम आदमी की दिनचर्या का अंग बन गए हैं।

पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक समुदाय भी समझ रहा है कि जो विकास स्थायी नहीं, वह वास्तविक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया है और हमारा देश इस आंदोलन के अग्रणी मार्गदर्शक के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री की 'पंचामृत और लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' की पहल ने भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। दस वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2300 प्रतिशत बढ़ी है। 2014 के बाद से सौर ऊर्जा दरों में लगभग 70–80 प्रतिशत की कमी आई है। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली जैसी योजना के माध्यम से पूरा भारत अक्षय ऊर्जा से लाभान्वित हो रहा है।

कोविड महामारी के बाद रूस–यूक्रेन युद्ध से उबरने का प्रयास कर रहे अनेक बड़े देश आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मोदी की कूटनीति और वित्तीय कुशलता के चलते इसी दौरान भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है।

आज वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की मेजबानी में संपन्न 'सेमिकान इंडिया' सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग के ग्लोबल हब बनने के अभियान का औपचारिक शुभारंभ था।

प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मेरा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो।' सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वह सब करने वाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान कोष की जो स्थापना की, वह हमारे नवाचारी युवाओं के लिए बड़ा संबल बनेगी।

यह सुखद दैवीय योग है कि देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और प्रधानमंत्री की जन्मतिथि एक ही दिन है। आज भारत विश्वनेता की भूमिका में भविष्य की आकांक्षाओं की आधारशिला पर गौरवशाली निर्माण कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस 'अमृत नव निर्माण' के शिल्पकार बन रहे हैं।❑❑

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

मानवता, देशभक्ति और बिज़नेस का बेजोड़ संगम थे 'रतन टाटा'

भारत और दुनिया के सबसे महान उद्योग नेताओं में से एक पद्म विभूषण श्री रतन नवल टाटा का दुःखद निधन, केवल उद्योग जगत के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। आज़ादी से पहले टाटा समूह के संस्थापक श्री जमशेद जी टाटा ने देश में सबसे बड़े स्टील उद्योग की नींव रखी, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। जमशेद जी ने भारत के आम लोगों से एक–एक रुपया इक्विटी पूंजी के रूप में इकट्ठा करके इस बड़ी स्टील कंपनी का निर्माण करके यह दिखा दिया कि देशभक्त भारतीयों द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। श्री रतन टाटा का जीवन न केवल हमारे देश के बल्कि पूरे विश्व के उभरते उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। लाभ कभी भी टाटा समूह का एकमात्र उद्देश्य नहीं रहा है और श्री रतन टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व में श्रमिकों, गरीबों और दलितों की देखभाल हमेशा उनका मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ, वे स्टील, ऑटोमोबाइल और विमानन सहित टाटा समूह के व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर ले गए। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने हमेशा भारत को गौरवान्वित किया। टाटा समूह को अन्य व्यावसायिक घरानों से जो बात अलग बनाती है, वह यह है कि श्री रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह हमेशा से ही मजदूरों, लोगों और खासकर गरीबों के पक्ष में रहा है। उन्होंने एक बार कहा था कि जब उन्होंने भारी बारिश में बस का इंतजार कर रहे एक गरीब परिवार को देखा, तो उनके दिमाग में एक ऐसी छोटी कार बनाने का विचार आया, जो आम आदमी के लिए सस्ती हो और उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती और किफायती कार बनाने का कार्य पूरा किया।

जहां उनकी व्यवसायिक सोच में आम आदमी और श्रमिक के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती है, उनके व्यवहार में सदैव देश के प्रति अथाव प्रेम भी झलकता है। उनके बारे

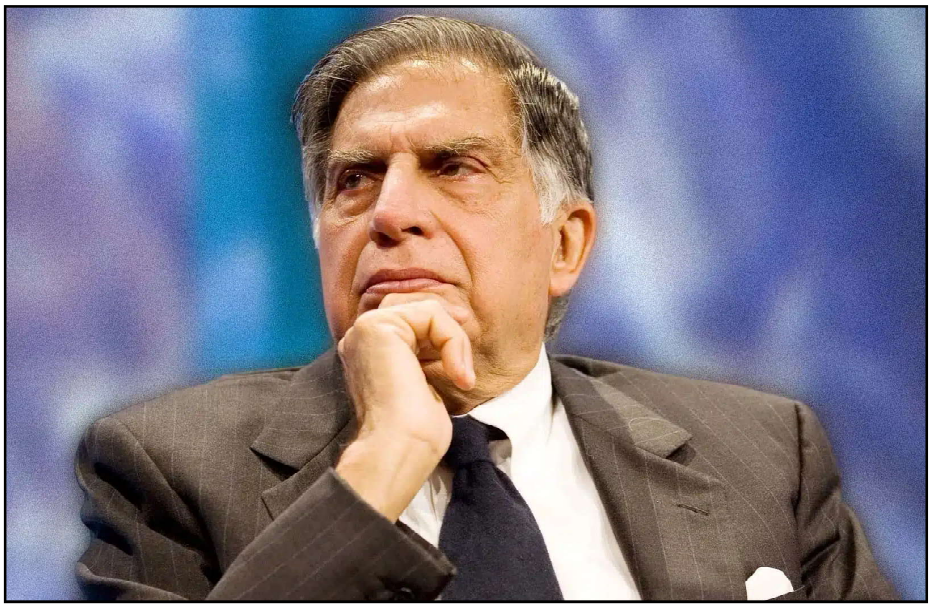

रतन टाटा हमेशा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे नीति निर्माताओं सहित अन्य लोगों को उनकी गलती के लिए टोक देते थे।

– स्वदेशी संवाद

में एक क़िस्सा प्रसिद्ध है कि जब पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मुम्बई के ताज होटल पर आक्रमण किया गया, तो अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के उद्योगपति उनसे मिलने के लिए भारत आए, लेकिन श्री रतन टाटा ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार के एक तत्कालीन मंत्री ने उनसे उस मुलाकात को करने के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि आप लज्जाहीन हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। जब–जब देश पर आपत्ति आई श्री रटन टाटा ने दिल खोलकर योगदान दिया। हाल ही में कोरोना काल के दौरान रतन टाटा ने न केवल 500 करोड़ रूपए का योगदान दिया। इसके अलावा टाटा समूह ने कुल 1500 करोड़ रूपए का कुल योगदान कोविड संकट के दौरान दिया। यह राशि देश के किसी भी व्यवसायिक समूह से अधिक थी।

लोगों को साथ लेकर चलने के सिद्धांत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके एक वाक्य से स्पष्ट होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ''अगर आप तेज चलना चाहते हैं, तो अकेले चलें। लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं, तो साथ–साथ चलें।''

हालांकि वे देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के मुखिया थे, लेकिन जो भी उनसे मिलता था, उन्होंने कभी भी यह अहसास नहीं होने दिया। कुल मिलाकर वे विनम्रता की एक मिसाल के रूप में जाने जाते हैं।

लोगों को साथ लेकर चलने के सिद्धांत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके एक वाक्य से स्पष्ट होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ''अगर आप तेज चलना चाहते हैं, तो अकेले चलें। लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं, तो साथ–साथ चलें।''

उन्होंने जब टाटा समूह का नेतृत्व संभाला तो उस समय अन्य औद्योगिक समूह विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार कर रहे थे। रतन टाटा ने अपनी एक अलग राह चुनी और अपने पूर्व स्थापित उद्योगों को गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के समय, वार्षिक इस्पात उत्पादन के मामले में कोरस, टाटा स्टील से चार गुना बड़ी थी। कोरस दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी थी, जबकि टाटा स्टील 56वें घ्घ्स्थान पर थी। अधिग्रहण के बाद टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी बन गई। सामान्यतया जब भी कोई विदेशी किसी कंपनी का अधिग्रहण करता है तो वहां के लोगों और कर्मचारियों में उसके प्रति विरोध होता है, लेकिन इस अधिग्रहण में सबसे गौरवांवित करने वाली बात यह थी कि कर्मचारियों ने इस बावत खुशी जताई, क्योंकि टाटा को हमेशा कर्मचारी हित को सर्वोपरि रखने वाली कंपनी के रूप में जाना जाता है।

इसी प्रकार दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड का भी अधिग्रहण रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने किया, जिसके चलते टाटा मोटर्स ने भारत में ही नहीं, दुनिया में एक बड़ा स्थान बना लिया।

वे हमेशा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे नीति निर्माताओं सहित अन्य लोगों को उनकी गलती के लिए टोक देते थे। रतन टाटा ने टाटा समूह के प्रति अपने दूरदर्शी नेतृत्व से हमेशा ही मजदूरों, उपभोक्ताओं और आम आदमी का स्नेह, प्रशंसा और वफादारी जीती है सभी बड़े औद्योगिक घरानों में से यह टाटा समूह ही था, जिसने कोविड–19 महामारी के दौरान न केवल अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि कोविड–19 के दौरान जान गंवाने वालों के परिवारों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक पूरा वेतन मिलता रहे।

❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

'राष्ट्र प्रथम' में स्वदेशी और स्वावलंबन प्रमुख नीति

आजकल 'राष्ट्र प्रथम' और 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' की चर्चा है। 'राष्ट्र प्रथम' में राष्ट्रहित छुपा है। निश्चित ही राष्ट्रहित की दृष्टि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकी को मानवहित की दिशा दे सकती है और स्वदेश, स्वाभिमान, राष्ट्रहित में काम करने की प्रेरणा। यह कहने की जरूरत नहीं कि स्वदेशी तकनीकी विकास ही राष्ट्र को स्वावलंबी बना सकता है तथा इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान से देश को बचा सकता है।

'राष्ट्र प्रथम' भावना में ही राष्ट्रहित

'राष्ट्र प्रथम' की भावना जब सारे समाज की इच्छा बन जाती है, तब वह राष्ट्रहित में काम करती है। लेकिन जब कुछ लोग किसी भी स्तर पर स्वार्थ भरी 'राजनीतिक इच्छा' को सबसे ऊपर मानते है, वे राष्ट्रहित नहीं समझते और देश विरोधी ताकतों को बल देते है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देश और उनके राजनीतिज्ञ अपने–अपने देश के बारे में अपनी–अपनी सोच रखते है और अपने देश के हित में काम करते है। लेकिन भारत में ऐसा देखा गया है कि यहाँ के विशिष्ट नेता और विशिष्ट विद्वान विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान देते है या भारत विरोधी लोगों से सलाह–मशवरा करते है। वैसे इस बात की शुरुआत प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ज्यादा दिखाई देती है। इस युद्ध के बाद ही साम्यवादी विचारधारा ने ज़ोर पकड़ा और हर देश में कुछ लोग साम्यवाद के नाम पर दूसरे देश से आर्थिक–वैचारिक समर्थन लेकर अपने ही देश में स्वार्थ की राष्ट्र विरोधी राजनीति करने लगे। उनका मुख्य उद्देश्य 'राष्ट्रवादी' सोच खत्म करना रहा। भारत में इस साम्यवादी विचारधारा के प्रचारकों में से कुछ नक्सल बनें तो कुछ व्यक्ति स्वातंत्र्य, बंधुत्व, आर्थिक–सामाजिक न्याय वगैरे नाम से देशांतर्गत अराजकता फैलाने में लगे, ताकि राजनीतिक सत्ता उनके हाथ आए। बात तब बढ़ी जब इनकी दृष्टि और कृति आतंकियों का भी साथ देने लगी। इनका मानना था कि 'राष्ट्र प्रथम' वाली भावना मानवता विरोधी है और उनका प्रयास रहा कि देशवासी 'राष्ट्रवाद' में ही राष्ट्रहित है, यह बात भूल जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और विचारधारा अस्तित्व में

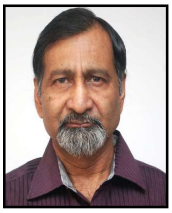

स्वदेशी की यह भावना और कृति, न ही आक्रमकता की है, न ही स्पर्धात्मक। यह अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर और समृद्धि से संतुष्टि तक ले जाने की बात है।

–अनिल जवलेकर

थी, जो पूंजीवादी के नाम से जानी जाती है। इस पूंजीवादी विचारधारा ने लोकतंत्र तथा आर्थिक विकास के नाम पर साम्यवादी विचारधारा को पराभूत किया। यह विचारधारा भी 'राष्ट्र प्रथम' भावना की विरोधी रही।

इस विचारधारा को भी पूंजीवादी स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए 'उदारीकरण और जागृतिकरण' के नाम से उसे प्रचारित किया गया। इतिहास गवाह है कि यह दोनों विचारधाराएं और इनकी शासन व्यवस्था लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामाजिक–आर्थिक न्याय स्थापित नहीं कर पायी। इतना ही नहीं इन विचारधाराओं ने जीवन को ही विनाश के तट पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हालात यह है कि सभी देश इन दोनों विचारधाराओं से ऊब चुके है और फिर एक बार 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा पर चल पड़े है। वैसे 'राष्ट्रवाद' ही वह विचारधारा है जो किसी न किसी रूप में शुरू से ही दुनिया भर के हर समाज में रही है। भारत में भी भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम रूप भारत भूमि को प्रणाम करता रहा और एक श्रेष्ठ संस्कृति विकसित करता गया। इसके पीछे निश्चित तौर पर 'राष्ट्र प्रथम' की भावना ही रही, चाहे इसके रूप अनेकों स्तर पर अनेक रहे।

भारत एक सुसंस्कृत राष्ट्र है

भारत हमेशा से ही एक सुसंस्कृत राष्ट्र रहा है। 'राष्ट्र' की व्याख्या केवल भूभाग से नहीं होती, न ही वहां रह रहे लोगों के धर्म या पंथ से होती है। 'राष्ट्र' की पहचान एक विशिष्ट भूभाग में बसे लोगों का एकात्म भाव एवं उससे उभरी उनकी सर्वसमावेशी की संस्कृति से होती है। भारतीय एकात्म विचार दर्शन और सर्व जीवों के प्रति सम भाव रखने वाली संस्कृति उन सभी विचार और भावों का आदर करती है और उसे अपने में समाहित करती है। जो आज के मानवतावादी विचार तथा लोकतंत्र व्यवस्था के अंश है। इसलिए यहाँ के समाज को धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र की परिभाषा समझाने की जरूरत नहीं है। वो उनके स्वभाव में है। भारतीयों का ज्ञान–विज्ञान, सांस्कृतिक अस्तित्व और उनकी सामाजिक व्यवस्था सबसे प्राचीन है। इसके मूल्य भी प्राचीन है और इस संस्कृति ने समस्त जीवन के सह–अस्तित्व तथा सह–जीवन के प्रति एक प्रगतिशील समझ निर्मित की है तथा एकात्म मानव दर्शन द्वारा एक समाज व्यवस्था दी है। इसी से विश्व कल्याण जैसे मूल्यों का निर्माण हुआ है और यही बात आज भी उपयुक्त है।

छद्मी नेता और खोखले विद्वानों ने देश की दिशा बदली

यह बात छुपी नहीं कि यहां के साम्यवादी विचारधारा के आधे–अधूरे विद्वानों के प्रभाव में आकर हमारे यहां के नेताओं ने छद्मी धर्म–निरपेक्षता की आड़ में भारतीय संस्कृति का इतिहास ही पलट डाला और उसके सारे दृष्टिकोणों को गलत ढंग से प्रसारित किया, जिसका परिणाम आज हमारे युवाओं की भ्रमित अवस्था में देखा जा सकता है। आज का भारतीय युवक अपने हर विचार को पाश्चात्य विचारों की कसौटी पर परखने की कोशिश करता दिखता है, वो विचारधाराएँ – जिसमें साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों शामिल है – आज पराभूत सी है। इन्हीं दो विचारधाराओं ने मानव जाति तथा समस्त पृथ्वी जीवन को विनाश तक पहुंचा दिया है। आज भी कुछ नेता जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है, वे और छद्मी धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले तथाकथित साम्यवाद से प्रभावित विद्वान इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति तथा उसके मूल्यों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। हालांकि जानते हुए या नासमझी से वे दूसरे देश की राजनीतिक इच्छा को पूरा कर रहे होते है। हो सकता है उसमें उनका कोई व्यक्तिगत लाभ भी छुपा हो। लेकिन यह राष्ट्रहित में नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रहित अपने और अपने समाज के दीर्घकालीन हित से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यह जरूरी है कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को स्वीकार और उसके अनुसार कृति किसी भी सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति या संस्था की पहचान होनी चाहिए।

स्वदेशी और स्वावलंबन नीति राष्ट्र हित में

'राष्ट्र प्रथम' एक भावना है और यह जब समाज की सामयिक इच्छा बन जाती है तो बदलाव का माहौल बनाती है। लेकिन इस बदलाव को स्वदेशी मंत्र और स्वावलंबन की नीति आवश्यक है, तभी यह इच्छा राष्ट्रहित साध सकेगी। 'स्वदेशी' मंत्र स्वदेशी आचार–विचार, संस्कार, तकनीकी संशोधन तथा स्वदेशी वस्तु एवं सेवा उत्पादन का, जब आधार बनेगा तो देश को व्यापार, आर्थिक विकास तथा तकनीकी को स्वावलंब की ओर ले जा सकेगा। यह समझना जरूरी है कि स्वदेशी की यह भावना और कृति न ही आक्रमकता की है, न ही स्पर्धात्मक। यह अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर और समृद्धि से संतुष्टि तक ले जाने की बात है। यह नहीं है कि यह मंत्र और इससे उभरी नीति अंतरराष्ट्रीय समाज से अलग होकर जीना चाहती है। यह सभी देशों की संस्कृति का सम्मान करती है और सह–अस्तित्व की भावना से सभी के समृद्धि तथा विकास के लिए सभी के एक दूसरे को सहयोग की कामना करती है। एक दूसरे के प्रगति में सहायक होने की भूमिका इसमें है। 'राष्ट्र प्रथम' से ही 'मानव जाति प्रथम' की भावना आएगी तथा विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। उसी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी सही उपयोग होने में मदद मिलेगी।❑❑

जनता मांगे त्वरित न्याय

हालिया वर्षों में बुलडोजर न्याय की हर तरफ चर्चा हुई है। यूपी में अपराधियों और माफिया की घर–दुकान–संपत्तियों को जिस तरह बुलडोज करके ध्वस्त किया गया है, उससे बुलडोजर न्याय जैसी चर्चा होने लगी हैं। कुछ लोगों को यह कार्रवाई प्रतिशोधवश लगी तो बहुतों को इसमें न्याय होता भी महसूस हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले पहल अपराधियों और माफिया के घर बुलडोजर से ध्वस्त कराए। यूपी सरकार का कहना है कि उन्हीं निर्माणों को गिराया गया जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बना लिए गए थे। चूंकि ऐसे लोग तत्कालीन सरकार में अपना कथित असर रखते थे, इसलिए उनका कुछ न बिगड़ा, लेकिन योगी इस प्रकार के किसी भी दबाव में नहीं आने वाले। इसलिए उन्होंने यह उपाय अपनाया और सबसे बड़ी बात तो यह कि अन्य कई राज्यों ने भी उनका अनुसरण किया। इससे ताकीद होती है कि अपराधियों और माफिया का हौसला तोड़ने और आम जन का कानून में विश्वास कायम रखने के लिए 'बुलडोजर न्याय कारगर है। पहली दफा नहीं है, जब किसी राजनेता ने बुलडोजर का इस प्रकार से इस्तेमाल कराया हो। आपातकाल में भी दिल्ली की मलिन बस्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त करके वहां के बाशिंदों को अन्यत्र स्थानों पर प्लॉट आवंटित करके उनका पुनर्वास किया गया था।

मालूम हो कि करीब सौ साल पहले कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने की परिकल्पना के साथ अमेरिका के किसानों जेम्स कुर्मिस और मैकलेयोड ने 18 दिसम्बर, 1923 में पहला बुलडोजर बनाया था। तब से इसके आकार और शक्ति में खासा बदलाव आ चुका है। शुरू में ऊबड़–खाबड़ जमीनों को समतल बनाने के यह काम आया। बाद में समय के साथ इसकी भूमिकाएं बदलती गई। बहरहाल, निर्माण स्थलों पर प्रायः दिख जाने वाला बुलडोजर निर्माण कार्यों में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन कभी–कभार विध्वंस की कार्रवाई में भी दिखलाई पड़ जाता है। अब यह त्वरित न्याय का प्रतीक बन गया है। जैसा कि यूपी में देखा जा रहा है। ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि किसी भी वैध निर्माण को न तोड़ दिया जाए। अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने अदालत में हलफनाम दिया है कि अतिक्रमण या अवैध निर्माण को ही ध्वस्त किया गया है।

त्वरित न्याय के मौजूदा दृष्टांत भले आदर्श न ठहराए जाएं, पर लोकतंत्र में यह अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लोकप्रिय मॉडल की शक्ल तो अख्तियार कर ही चुके हैं।

–शिवनंदन लाल

विचार और सवाल की तमाम दलीलों के बीच इस बात से किसी का इनकार नहीं कि लोकतंत्र में जनता की पसंद के ऊपर कुछ नहीं। ऐसे में त्वरित या बुलडोजर न्याय को लेकर विचार करें तो इसको लेकर प्रतिरोध का बड़ा जनपक्ष आज भी नदारद है। बात सीधे–सीधे इस दौरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में लोकप्रिय हुई बुलडोजर कार्रवाई की करें तो इसके पीछे बड़ी वजह न्याय में देरी की शिकायत का फौरी निराकरण है। भारत बड़ा देश है। कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक एक ऐसा ढांचा यहां आजादी के पहले से हमारे साथ चला आ रहा है, जिसमें आमूलचूल सुधार की दरकार है। पर यह सब रातोंरात संभव नहीं। लिहाजा, एक दूसरी सूझ यह सामने आई कि जनता के सामने विधि के शासन को कारगर दिखाना जरूरी है। तार्किक रूप से इस दरकार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। जो सवाल आज बुलडोजर न्याय को लेकर अदालत, मीडिया और राजनीति के साथ जनता के कुछ हलकों में खड़े भी हो रहे हैं, उसमें एतराज की जगह समाधान का कोई समझदार मार्ग नदारद है।

सत्ता के साथ सहमति का मसला

इस पूरे मसले पर विचार करने का एक दूसरा सिरा भी है, जो बीते वर्षों और दशकों में भारत और दुनिया के कई देशों में चुनी गईं सरकारों से जुड़ा है। इस मामले में नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस की सोशल न्यूरोलॉजिस्ट एमिली कैस्पर ने एक दिलचस्प शोध किया है। कैस्पर जानना चाहती थीं कि सत्ता के विरोध का निर्णय लोग निर्भीकता से करते हैं, या ऐसा करते हुए वे किसी भय से दबे होते हैं। शोध के नतीजे से यह बात जाहिर हुई है कि अनजाने ही सत्ता के साथ सहमति की मनोवैज्ञानिक स्वाभाविकता हाल के दौर में बढ़ी है। अपने शोध अध्ययन की व्याख्या करते हुए कैस्पर कहती हैं कि बगैर उचित प्रशिक्षण और जागरूकता के लोग सत्ता के खिलाफ अपनी असहमति को खुले विरोध के मोर्चे तक ले जाने से भागते हैं।

कैस्पर के अध्ययन और उसके नतीजे को अगर भारत के मौजूदा हालात से जोड़ कर देखें तो विमर्श का एक नया आधार विकसित हो सकता है। आज जब नरेन्द्र मोदी की विकल्पहीनता पर बहस के कई सिरे एक साथ खुले हैं, तो उसमें लोकतंत्र के कुछ बुनियादी सरोकारों पर नई समझ से विचार करना जरूरी है। कैस्पर ने भी अपने अध्ययन में इस समझ की तरफ इशारा किया है। अंग्रेजी में इस खतरनाक स्थिति के लिए 'टीना' नाम से एक टर्म काफी लोकप्रिय है, और हालिया सालों में काफी इस्तेमाल में भी रहा है। 'टीना' यानी 'देअर इज नो अल्टरनेटिव'।

आज जो लोग उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति का नया फलित बांच रहे हैं, वे भी कहने को तैयार नहीं कि आने वाले कम से कम दो दशक में भाजपा भारत की राजनीति के केंद्र से बाहर हो जाएगी। साफ है कि अगर यही स्थिति रहने वाली है तो

तार्किक लिहाज से देखें तो बुलडोजर न्याय के साथ क्या यह भी विचारणीय नहीं है कि राजनीति के अपराधीकरण के दौर से आगे बढ़कर हम आज उस दौर में हैं, जब कोई राजनीतिक दल या उसका शासन अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई की बात करता है।

जाति–समाज और न्याय से लेकर विकास तक विकसित हो रहे नए स्थापत्यों पर एक बड़े स्वीकार के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बड़ी बात यह कि यह स्वीकार्यता कहीं से भी यह नहीं दिखाती कि लोकतंत्र की मजबूती या निरंतरता में हम कहीं कमजोर पड़े हैं।

तत्काल कार्यवाही का सवाल

तार्किक लिहाज से देखें तो बुलडोजर न्याय के साथ क्या यह भी विचारणीय नहीं है कि राजनीति के अपराधीकरण के दौर से आगे बढ़कर हम आज उस दौर में हैं, जब कोई राजनीतिक दल या उसका शासन अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई की बात करता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहस का एक प्रसंग खासा रोचक है। पिछले साल 25 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या को लेकर सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के साथ आमने–सामने होने पर उन्होंने कहा, 'मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा।' उन्होंने जिस सख्त लहजे में यह बात कही, वह क्लिप आज तक सोशल मीडिया में वायरल है। योगी ने अखिलेश पर उंगली उठाते हुए कहा कि वह दौर गया जब अपराध को संरक्षण देकर लोग अपनी राजनीति चमकाते थे।

बहरहाल, इस बात से कतई एतराज नहीं कि न्याय हमेशा आलोचना से ऊपर होना चाहिए। साथ में यह भी कि न्याय का विधान और प्रक्रिया सर्व–समावेशी और पूरी तरह तटस्थता की धुरी पर खरी होनी चाहिए। पर व्यावहारिक बात एक यह भी है कि लोकतंत्र के लोकप्रियतावादी ढांचे में सलेक्टिव होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यह खतरा त्वरित न्याय के कई मौजूदा प्रसंगों में दिखता और तथ्यात्मक रूप से साबित भी हुआ है। पर बहुमत के शासन के साथ अगर न्याय को लेकर कोई द्रुत प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो वह कम से कम इंसाफ में देरी की निराशा को दूर करने की दिशा में बढ़ा कदम तो है ही।

आधुनिक न्याय के सिद्धांतकार जॉन रॉल्स ने राजनीतिक दर्शन और नैतिकता को लेकर कई महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं। रॉल्स एक तरफ तो मानवता को सर्वोपरि मानते हैं, वहीं न्याय को लेकर निरंतरता की बात भी करते हैं। रॉल्स की स्थापना के साथ मौजूदा संदर्भ को देखें तो सबसे आदर्श स्थिति तो मानवीय आदर्श और नैतिकता का व्यापक रूप से असंदिग्ध होना है। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर न्याय को लेकर जड़ता को तोड़ते हुए निरंतरता की तरफ बढ़ना एक जरूरी कार्रवाई है। त्वरित न्याय के मौजूदा दृष्टांत भले आदर्श न ठहराए जाएं, पर लोकतंत्र में यह अपराध के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लोकप्रिय मॉडल की शक्ल तो अख्तियार कर ही चुके हैं। बीते वर्षों में तमाम राजनीतिक दलों ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिये थे अथवा उनसे साठ–गांठ कर ली थी। योगी आदित्यनाथ ने इस बाडेबंदी को ध्वस्त करने में बहुत हद तक कामयाबी प्राप्त की है और प्रदेश की जनता का बड़े पैमाने पर समर्थन भी प्राप्त है। ❑❑

भारतीय ज्ञान परम्परा में पर्यावरण शिक्षा

आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे शहर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त हैं। विश्व के 31 प्रदूषित शहरों में भारत के 20 शहर हैं। हमें शुद्ध हवा, पानी, अनाज, सब्जी–फल आदि उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की भयावहता यू.एन. की एक रिपोर्ट से साफ होती है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर के 10 लोगों में से 9 लोग जहरीली हवा लेने को मजबूर हैं। प्रतिवर्ष 70 लाख मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या भारत से है।

भारतीय ज्ञान परम्परा में पर्यावरण शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ऋषियों ने कहा– *'सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत।।'* सब सुखी हों, सब निरोगी हों, कोई दुःखी न हो, यह उद्देश्य केवल पर्यावरण शुद्धता से ही सम्भव हो सकता है।

वैदिक शांति मंत्र कहता है:– *ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।*

इस शांति पाठ में पृथ्वी, अन्तरिक्ष, औषधी, हवा, जल, अग्नि, आकाश सभी को शांत रखने की ईश्वर से प्रार्थना की गयी है। जिन पांच तत्वों – मिट्टी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश से मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि आदि का निर्माण हुआ है, उन सबको शांत रखने की अपेक्षा की गई है। हमारा गायत्री मंत्र भी *ॐ भू र्भुवः* से शुरू होता है – जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परम्परा में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन को बहुत महत्व दिया गया है।

वरस्पति में चेतना – वेदों ने हमें सिखाया है कि अन्य प्राणियों की तरह हम वनस्पतियों पर भी दया करें, क्योंकि वनस्पति में भी मनुष्य, पशु, पक्षी की तरह चेतना होती है। हरा वृक्ष जीवात्मा से ओत–प्रोत रहता है। अतः खूब जलपान करता है और जड़ द्वारा पृथ्वी से रसों को चूसता रहता है। हरे वृक्ष पर ऊपर, नीचे, मध्य में, किसी भी जगह प्रहार करने पर वह रस का स्त्राव करने लगता है। ऐसे ही प्राणियों का कोई अंग जब चोट या रोग से अत्यन्त आहत हो जाता है तब उसमें व्याप्त जीवांश उससे आहत हो जाता है। वनस्पतियों में भी ठीक यहीं बात पायी जाती है।

आचार्य शंकर कहते हैं वनस्पति भी प्यार चाहती है। प्यार पाकर पौधे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि फल, फूल, पत्ते आदि तोड़ते समय उनसे (पौधों/पेड़) प्रार्थना करनी चाहिए।

हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में पर्यावरण संरक्षक बनें।

– प्रो. (डॉ.) विजय वशिष्ठ

देश में वनों का विनाश हो रहा है, वन्य प्राणी प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं फलस्वरूप पारिस्थितिक सन्तुलन बिगड़ रहा है। हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के शिकार होते जा रहे हैं मानवता का विनाश हो रहा है, प्राकृतिक असन्तुलन का कारण हमारी बिगड़ती हुई मानसिकता है यदि यही स्थिति रही तो शीघ्र ही यह पृथ्वी वन एवं वन्य जीवों से विहीन हो जाएगी तथा मानव विनाश भी सम्भावी हो जाएगा।

आधुनिक विकास की होड़ में हमने पर्यावरण को जहरीला बना दिया। पानी, मिट्टी, हवा सबको प्रदूषित कर दिया। प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं एवं पर्यावरण संरक्षण की चर्चा भी

भारतीय संस्कृति ही हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सिखाती है। आज की पर्यावरण प्रदूषण की भयावह समस्या का एकमात्र समाधान है कि भारतीय जीवन आदर्शो को मानते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सीखे।

कर रहे हैं। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जल का हम न केवल दुरूपयोग कर रहे हैं, बल्कि उसे प्रदूषित भी कर रहे हैं। नदियों को मां मानकर पूजते हैं और उसी नदी में गंदगी का प्रवाह भी कर देते हैं। हमारी समस्त पवित्र नदियां न केवल प्रदूषित हो गयी हैं बल्कि जहरीली भी हो गयी हैं। गटर लाईन की गंदगी पवित्र नदियों में प्रवाहित करने में हमें कोई संकोच नहीं होता। सफाई के नाम पर बजट तो खर्च हो जाता है और नदियां अपवित्र ही रहती हैं। नमामि गंगे, इसका उदाहरण है।

वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद प्राचीनतम् है, जिसमें मुख्य रूप से प्रकृति को ही देवी मान कर स्तुति की गई है, वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को माता माना है, इसीलिए कहा *'माता भूमि अहं पुत्रोपृथ्वीया'*। भूमि ही प्रकृति का प्रथम तत्व है, पृथ्वी ही सम्पूर्ण भोगों की उत्पादकता है–इसीलिए इसे 'श्री' कहा गया है, वेदों में वृक्षों के महत्व का सर्वाधिक प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए वृक्षों में देवता का निवास माना गया है तथा इनको न काटने पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में वट, पीपल, ऑवला, तुलसी आदि का पूजन करने का भी यही अभिप्राय है कि ये मानव जीवन की सुरक्षा करते हैं। हिन्दू धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाने की सलाह दी गई है, जिसका वैज्ञानिक कारण है। तुलसी का पौधा ही संसार का एकमात्र पौधा जो दिन तथा रात ऑक्सीजन छोड़ता है तथा उसकी पत्तियॉ प्रकाश संश्लेषण द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सोर ऊर्जा शोषित करती हैं, फलतः ऋषियों ने जनमानस में इस धारणा को बल दिया कि तुलसी में लक्ष्मी व विष्णु दोनों का निवास है,

वामन पुराण में तो प्रातः काल उठते ही पॉचो तत्वों का स्मरण करने की परम्परा पर जोर दिया गया है। गीता में भगवान ने प्रकृति को अष्टकोणी बताया है, पांच तत्वों के अलावा मन, बुद्धि एवं अहंकार की भी गणना की गई है। ये पांचों तत्व मिलकर मन और बुद्धि को निर्मल रखें तथा अहंकार को संयमित रखें। स्कन्ध पुराण के अनुसार जिस घर में प्रति दिन तुलसी की पूजा होती है उसमें यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते (स्कन्ध पुराण 21.66)।

वाराह पुराण (172.39) में तो पेड़ पौधों और वनस्पतियों के रोपण–पोषण और संवर्द्धन को पुण्य कार्य माना गया है, मन्त्र में व्यवस्था है कि जो व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक पीपल, एक नीम और एक बड़ (बरगद का वृक्ष) का पेड़ लगाएं, 10 फूलों वाले वृक्षों और लताओं का रोपण करें, अनार, नारंगी और आम के दो–दो वृक्ष लगाए, वह कभी नरक में नहीं जाता। प्रकृति को धर्म से जोड़कर यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति प्रकृति का विनाश न करे।

भारतीय, संस्कृति में अनेक पर्व एवं त्यौहार पर हम वन्य जीवों की पूजा अर्चना करते है। मोर सरस्वती के साथ, सिंह महाकाली के साथ, बैल शिव के साथ, हाथी इन्द्र के साथ, चूहा गणेश के साथ सदैव पूजनीय रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी बारह राशियों में से कई पशुओं के नाम पर है। भारतीय संस्कृति में वन्य प्राणियों का प्रमुख स्थान देकर प्रतिष्ठित ही नहीं किया, बल्कि समय–समय पर लोगों ने अपने प्राणो की आहुति देकर वनों एवं वन्य प्राणियों की रक्षा भी की है। राजस्थान में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां शासनादेश के बावजूद भी जनता ने एक भी पेड़ नहीं कटने दिया। जोधपुर जिले के गॉव खेजड़ली में 363 बलिदानियों (महिलाओं) ने स्वयं के प्राणों की आहुति देकर पेड़ो की रक्षा की।

हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र है *''अहिंसा परमोधर्म''*। मनुस्मुति के अनुसार पशुओं की हत्या करने वाला केवल हिंसक नहीं कहलाता–जो व्यक्ति पशु हत्या की आज्ञा देता है, जो पशु को काटता है, जो उसे मारता है, जो मांस बेचता है या खरीदता है, जो उसे परोसता है एवं जो उसे खाता है–वे सब हत्या के दोषी हैं। जैन ग्रन्थों में यही भावना प्रतिपादित की गई है और अहिंसा को भी अनिवार्य बताता है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में वन्य प्राणियों की हत्या को रोकने के लिए दण्ड की व्यवस्था की।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति ही हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सिखाती है। आज की पर्यावरण प्रदूषण की भयावह समस्या का एकमात्र समाधान है कि भारतीय जीवन आदर्शो को मानते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सीखे।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए जन अभियान चलाना होगा। *पेड़ लगाओ – पर्यावरण बचाओ, शिक्षा पाओ – पेड़ लगाओ, शादी रचाओ – पेड़ लगाओ, जन्मदिन मनाओ – पेड़ लगाओ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक पौधा माँ के नाम अभियान* जैसे कार्यक्रम चलाकर पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में पर्यावरण संरक्षक बनें। ❑❑

लेखक – सेवानिवृत्त, प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा (राज.)

'स्व के तंत्र में समाहित–राष्ट्र का परम वैभव'

स्व+तंत्र यानी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति व अपनी सोच, अर्थात व्यक्ति, समाज व राष्ट्र अपनी जरूरतों और उद्देश्यों को समझ स्वतंत्र रूप से उसका संचालन करे तथा बाह्य प्रभावों से मुक्त होकर अपने मार्ग का निर्धारण करें। भारत में "स्व के तंत्र" की अवधारणा एक व्यापक और प्राचीन विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन के मूल में बसी है। यह अवधारणा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विभिन्न स्तरों पर आत्म–जागरूकता, आत्म–नियंत्रण और आत्म–सशक्तिकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। स्व के तंत्र का महत्व केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पारंपरिक भारतीय अवधारणा में 'स्व' के तंत्र का गहरा संबंध योग, वेदांत दर्शन, उपनिषद और अन्य प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों में है। इस संदर्भ में 'स्व' का अर्थ आत्मा या आत्मसत्ता है, जो कि हर व्यक्ति के भीतर स्थित परम् दिव्यता का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में स्व का तंत्र चार मुख्य पहलु–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में विभाजित किया गया है।

व्यक्ति के आंतरिक स्व का तंत्र उसके धर्म अर्थात कर्तव्य से संचालित होता है। जो केवल व्यक्तिगत स्तर पर न होकर सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है।स्व का तंत्र उस धन (अर्थ) और संसाधनों के प्रति भी है, जिसे व्यक्ति अपनी क्षमता से अर्जित करता है, लेकिन इसे समाज और राष्ट्र की समृद्धि के साथ जोड़ा जाता है। जबकि व्यक्तिगत इच्छाओं (काम) को नियंत्रित करने का तंत्र, जिसमें संतुलन और अनुशासन प्रमुख भूमिका निभाते हैं इनको स्व के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति (मोक्ष) है, जहां व्यक्ति स्व के तंत्र का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर आत्मा व परमात्मा की प्राप्ति करता है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्व के तंत्र की अवधारणा केवल व्यक्तिगत आत्म–साक्षात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश और समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा उठाई गई 'स्वराज' की आवाज स्व के तंत्र

जब भारत अपने 'स्व' को जानकर उसे अंगीकार करेगा असल में, तभी स्व तंत्र की प्राप्ति होगी और राष्ट्र परम् वैभव को प्राप्त होगा।

–अनुपमा अग्रवाल

का एक प्रमुख उदाहरण है। स्वराज यानी स्व–शासन का तात्पर्य केवल विदेशी सत्ता से स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि यह आत्म–नियंत्रण, आत्म–संयम और आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करता है। गांधीजी ने यह स्पष्ट किया कि जब तक देशवासी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में स्व का तंत्र स्थापित नहीं करेंगे, तब तक सच्चा स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। स्व के तंत्र की अवधारणा का एक प्रमुख भाग स्वदेशी जागरण है,जहां लोगों को अपनी क्षमताओं और संसाधनों पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसका उद्देश्य था कि भारतीय लोग अपने उत्पादन और संसाधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनें और विदेशी वस्तुओं पर अपनी निर्भरता कम करें।

भारतीय समाज और संस्कृति में स्व के तंत्र का स्थान हमेशा से प्रमुख स्थान रहा है। परिवार, समाज, और समुदायों के बीच एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और सेवा का भाव इस तंत्र का अभिन्न अंग है। भारतीय समाज में यह माना जाता है कि व्यक्तिगत उन्नति तभी संभव है, जब व्यक्ति अपने स्व की पहचान कर समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझकर उन्हें ईमानदारी से निभाए।भारतीय संस्कृति में 'स्व का तंत्र' सेवाभाव से भी जुड़ा है। 'सेवा परमो धर्मः' की अवधारणा यह बताती है कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें से दूसरों की सेवा या सहायता के लिए कुछ निकालना 'स्व' है, जो धन कमाया है उसमें से एक भाग समाज के लिए दान दें यही भारतीय संस्कृति है। खेत में धान बोती महिलाएं गीत गाती हैं– साधु, सन्यासी, अतिथि सबको दूंगी तब मैं रखूंगी'। इसके अतिरिक्त स्व आचरण बुजुर्गों, दीन–दुखियों, वंचितों के प्रति सेवा भाव पैदा करता है तथा दया, करुणा, अहिंसा, परोपकार, समर्पण, अपरिग्रह, समरसता का भाव स्व में समाहित है। "वसुधैव कुटुम्बकम" अर्थात सम्पूर्ण विश्व को परिवार मानने की संकल्पना स्व में समाहित है।अतः व्यक्तिगत जीवन में स्व का तंत्र तभी सफल हो सकता है जब व्यक्ति समाज की भलाई के लिए कार्य करे।

भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में भी स्व का तंत्र एक केंद्रीय तत्व है। योग, ध्यान, और आध्यात्मिक साधनाएं व्यक्ति को अपने भीतर के स्व से जोड़ने और उसकी वास्तविकता को समझने का मार्ग दिखाती हैं। यह केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है। *'सर्वे भवन्तु सुखिनः'* अर्थात सभी के सुख की कामना स्व की ही अवधारणा है।

आधुनिक भारत में स्व का तंत्र नए अर्थ में व्याख्यायित हो रहा है। आत्मनिर्भरता और आत्म–जागरूकता को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राथमिकता दी जा रही है। जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान स्व के तंत्र की आधुनिक व्याख्या है। इसका उद्देश्य है कि भारत अपने उत्पादन, तकनीकी विकास और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु आत्मनिर्भर बने। 'स्व' का तंत्र अब सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक हिस्सा है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों को उनकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराया जाता है। महिलाओं, वंचित वर्गों तथा अन्य समुदाय के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना भी स्व का तंत्र है ताकि वे समाज में सक्रिय योगदान कर सकें। स्व के तंत्र का उद्देश्य समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर कर सभी को समान अवसर प्रदान करना है।

प्रत्येक राष्ट्र का स्व उसकी प्रकृति होता है। स्व में ही व्यक्ति और राष्ट्र को गढ़ने की क्षमता होती है। प्रत्येक राष्ट्र जब अपने जन, जंगल, जमीन, जल और सांस्कृतिक परिवेश में तंत्र का निर्माण करता है, तब सुशासन की स्थापना होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुषों ने स्वदेश और स्वराज का गुणगान ही नहीं किया बल्कि उसी में रामराज्य की अवधारणा के दर्शन किये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता और परतंत्रता का अंतर शासन के सूत्रों का विदेशियों और स्वदेशियों क हाथ में रहना मात्र नहीं है। महत्वपूर्ण यह जान लेना है कि एक विदेशी शासक सुशासन दे सकता है पर स्वराज नहीं। गीता में भी कहा गया है कि स्वराज तभी आएगा जब स्व तंत्र की स्थापना होगी और स्वतंत्रता से सुशासन स्थापित होगा।

स्व के तंत्र द्वारा परम् वैभव को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनमानस को स्वाभिमान, स्वावलंबन के आधार पर सुसंगठित समाज की रचना करनी होगी तथा प्रत्येक नागरिक को देश के संविधान और कानूनों का पालन, राष्ट्रीय दायित्व समझकर करना होगा क्योंकि आत्मानुशासन में कर्तव्य बोध निहित होता है और कर्तव्य पालन से अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं।

निष्कर्ष के रूप में 'स्व' के तंत्र की अवधारणा भारतीय जीवन–दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो आत्म–जागरूकता, आत्म– नियंत्रण और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्र के विकास,सामाजिक स्थिरता, और सांस्कृतिक पहचान के निर्माण में भी इसका विशेष योगदान है। जब भारत अपने 'स्व' को जानकर उसे अंगीकार करेगा असल में, तभी स्व तंत्र की प्राप्ति होगी और राष्ट्र परम् वैभव को प्राप्त होगा।❑❑

विश्व में अग्रणी भारत की जैविक अर्थव्यवस्था

भारत की जैविक अर्थव्यवस्था के विषय में देश के आर्थिक तंत्र में एक अभूतपूर्व उत्साह है और टेक्नालोजी एवं स्टार्ट–अप के माध्यम से इस विकास के आयाम को देश के जनमानस से जोड़कर एक निश्चित नीति निर्धारण के द्वारा भारत विश्व में शीर्ष जैविक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह केवल उद्यमी वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि उपभोक्ता को भी जैविक उत्पादों के घरेलू, व्यापारिक एवं औद्योगिक उपभोग के लिए भी प्रेरित करने की आवश्यकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। वैसे तो हमारे देश की वैदिक संस्कृति पर्यावरण के अनुरूप ही है और आज भी समाज में हमारी परम्पराएँ, उत्सव और दिन प्रतिदिन की दिनचर्या भी पर्यावरणीय चेतना से अभिभूत हैं। यह कहना उचित नहीं कि जैविक अर्थव्यवस्था कि संकल्पना यूरोप से आई, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति का आधार ही पर्यावरण के अनुकूल है।

भारत में जैविक तकनीक (बायो टेक्नोलाजी), पांच बड़े स्तंभों पर आधारित है। जिसमें ऊर्जा, कृषि, औषधि, उद्योग और सेवाएं हैं। इसमें सूचना प्रोद्योगिकी और शोध सेवाएं भी सम्मिलित हैं। जैविक अर्थव्यवस्था का संबंध अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्रों में सूचना, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहित जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण से है।

भारत शीर्ष पांच वैश्विक जैविक अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बीआईआरएसी) और एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज (एबीएलई) की रिपोर्ट में जैव प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, स्वास्थ्य सेवा और जैव विनिर्माण में परिवर्तनकारी प्रगति को रेखांकित किया गया है। इसे वैश्विक 'बायो–इंडिया समिट 2024' के एक सत्र के दौरान जारी किया गया।

भारत की वैज्ञानिक परंपरा और ज्ञान संस्कृति के वाहक के रूप में जैविक अर्थव्यवस्था न केवल भारत बल्कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाती है।

–विनोद जौहरी

जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव और बीआईआरएसी के चेयरमैन राजेश एस. गोखले ने कहा कि रिपोर्ट में भारत की जैविक अर्थव्यवस्था के 2014 में 10 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2023 तक 151 अरब डॉलर तक पहुंचने की बात कही गई है। वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत की बाजार हिस्सेदारी 3–5 प्रतिशत है। जैविक अर्थव्यवस्था 3. 3 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देगी। हम 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा टीकों और जैव दवाओं की बढ़ती मांग के कारण संभव हो पाया है। इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में 4.25 प्रतिशत का योगदान है। भारत 2025 तक शीर्ष 5 वैश्विक जैव–विनिर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने "ग्लोबल बायो–इंडिया – 2023" की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हमारी जैव अर्थव्यवस्था ने प्रति वर्ष दोहरे अंकों की वृद्धि दर देखी है। डॉ. सिंह कहा कि भारत की अब दुनिया के शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में गणना होती है और आने वाले समय में जैव–अर्थव्यवस्था आजीविका का एक बहुत ही आकर्षक स्रोत बनने जा रही है। बायोटेक स्टार्टअप भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी भविष्य की प्रौद्योगिकी है, क्योंकि आईटी पहले ही अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंच चुकी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि

जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों देशों के नेतृत्व ने अपने प्रशासन से उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और जैव विनिर्माण के लिए वर्तमान साझेदारी का विस्तार करने और जैव सुरक्षा एवं जैव सुरक्षा प्रथाओं तथा नवाचार मानदंडों को बढ़ाने का आह्वान किया था। नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक डॉ. सेथुरमन पंचनाथन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत मिलकर जैव प्रौद्योगिकी नवाचार और जैव विनिर्माण के माध्यम से जलवायु शमन और ऊर्जा लक्ष्यों जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अगले 25 वर्षों में "अमृत काल" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के व्यवसायों के बीच व्यापक तालमेल का आह्वान किया। (एनआरएफ) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और अगले 5 वर्षों में भारत को वैश्विक अनुसंधान एवं विकास नेता के रूप में स्थापित करेगा। हमें वैश्विक मानदंडों, वैश्विक रणनीतियों और वैश्विक दृष्टिकोण को पूरा करना होगा।

पिछले 8 सालों में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या 100 गुना बढ़ गई है, जबकि 2014 में इनकी संख्या 52 थी और आज इनकी संख्या 6,300 से ज़्यादा है। प्रतिदिन भारत में 3 बायोटेक स्टार्टअप्स स्थापित हो रहे हैं, जिनका लक्ष्य व्यवहार्य तकनीकी समाधान प्रदान करने का है। जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एक अलग शैली है, जो जीव विज्ञान और विनिर्माण के नए अनुसंधान को जोड़ती है, अर्थात सूक्ष्म जीवों, स्व–संस्कृतियों आदि जैसे जीवित प्रणालियों

भारत में जैव संसाधनों का विशाल भंडार है, एक असंतृप्त संसाधन जिसका दोहन किया जाना शेष है और जैव प्रौद्योगिकी में विशेष रूप से हिमालय में विशाल जैव विविधता और अद्वितीय जैव संसाधनों के कारण लाभ है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सरकार की मेक इन–इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को सार्वजनिक– निजी भागीदारी के माध्यम से जैव– औषधि (बायो–फार्मा), जैव–सेवाओं (बायो–सर्विसेस), कृषि जैव–प्रौद्योगिकी (एग्रो–बायोटेक), औद्योगिक जैव– प्रौद्योगिकी (इंडस्ट्रियल बायोटेक) और जैव सूचना विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी नवाचार, अनुसंधान और विनिर्माण में एक मजबूत आधार बनाकर उसे पोषित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि अब अलग–अलग काम करने का युग समाप्त हो चुका है और हमें अपने अप्रयुक्त संसाधनों की विशाल क्षमता को उजागर करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रसंस्करण। आज 3,000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं और वे अरोमा मिशन और लैवेंडर की खेती जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल हैं। लगभग 4,000 लोग लैवेंडर की खेती से जुड़े हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग उन्नत जैव ईंधन और अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास नवाचारों को समर्थन दे रहा है। अब सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग, माइक्रोबियल बायोरिसोर्सेज और मेटाबोलिक इंजीनियरिंग जैसे उपकरणों के बारे में अब बात की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का उल्लेख करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि भारत की वैक्सीन रणनीति, मिशन सुरक्षा ने फार्मा, उद्योग और शिक्षा जगत को वर्तमान के साथ–साथ भविष्य की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारी में एक साथ समावेशित किया है। पहले भारत को निवारक स्वास्थ्य सेवा के लिए शायद ही जाना जाता था, लेकिन आज भारत को दुनिया के टीकाकरण केंद्र के रूप में जाना जाता है।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रमुख उप–क्षेत्रों में जैव औद्योगिक (48 प्रतिशत): इसमें जैव ईंधन, रसायन, जैव प्लास्टिक आदि, बायोएग्री (8 प्रतिशत): उदाहरणार्थ बीटी कॉटन जैसी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें। बायोफार्मा (36 प्रतिशत): फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक्स, बायोआईटी/अनुसंधान सेवाएं (8 प्रतिशत) : इसमें अनुबंध अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण, जैव सूचना विज्ञान आदि शामिल हैं।

भारत में जैव संसाधनों का विशाल भंडार है, एक असंतृप्त संसाधन जिसका दोहन किया जाना शेष है और जैव प्रौद्योगिकी में विशेष रूप से हिमालय में विशाल जैव विविधता और अद्वितीय जैव संसाधनों के कारण लाभ है। फिर 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और पिछले साल हमने समुद्रयान लॉन्च किया जो समुद्र के नीचे जैव विविधता की खोज करने जा रहा है।

देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर–आईआईपी) द्वारा विकसित पुनर्चक्रण तकनीक से भविष्य में कचरा शून्य हो जाएगा। सब कुछ रीसाइकल किया जाएगा।

चंद्रयान–3 और डीएनए वैक्सीन की दोहरी सफलता की कहानियों ने भारत के वैज्ञानिकों को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया है, जहां विकसित देश भी हमसे सीख ले रहे हैं। भारत की वैज्ञानिक परंपरा और ज्ञान संस्कृति के वाहक के रूप में जैविक अर्थव्यवस्था न केवल भारत बल्कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे विश्व के कल्याण का मार्ग दिखाती है। ❑❑

राष्ट्र निर्माता - पं. दीनदयाल उपाध्याय

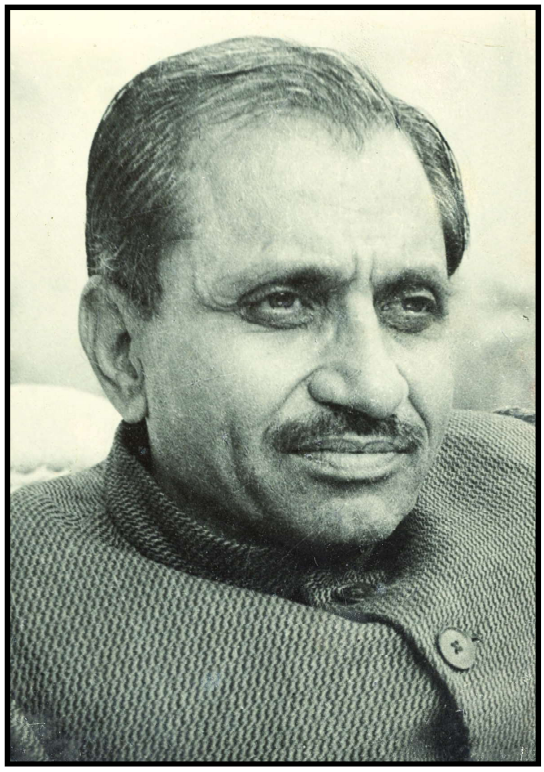

भारत के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठक, बौद्धिक चिंतक और भारत निर्माण के स्वप्नद्रष्टा के रूप में कालजयी हैं। माता रामप्यारी और पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय के घर 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चन्द्रभान ग्राम में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सबके प्रेरणास्रोत और मातृभूमि के सच्चे उपासक थे। उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास का समूचा दर्शन दिया। अपनी संस्कृति, संस्कारों, परंपराओं, जीवन मूल्यों के आधार पर देश निर्माण का विचार दिया। विश्व के विकास और कल्याण की सभी संभावनाएं उनके द्वारा दिए गए एकात्म मानवदर्शन में है। जिसकी प्रासंगिकता मानकर सारा विश्व इस मानवीय सिद्धांत पर शोध कर रहा है, ताकि एक मामूली से कद काठी के व्यक्ति ने इतना मार्मिक और सारगर्भित विमर्श समय रहते कैसे उद्वेलित कर दिया?

एकात्म मानववाद का दर्शन

पं. दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवदर्शन भारतीय चिंतन की दो अवधारणा पर आधारित है। पहली 'वसुधैव कुटुंबकम्' का सिद्धांत और दूसरी 'चार पुरुषार्थ'। उन्होंने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके विकास के लिए चार पुरुषार्थ की अवधारणा को स्पष्ट किया। उनका मानना था कि व्यक्ति में प्रतिभा भी है और उसकी आवश्यकताएं भी है लेकिन उसका मन व्यापक होता है। वह भ्रमित हो सकता है। मनुष्य सकारात्मक दिशा में बढ़े, इसके लिए मन का संतुलन और अनुशासन जरूरी है। यह बुद्धि और विवेक से ही संभव है। इसके लिए चार पुरुषार्थ आवश्यक है, इनमें– धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समावेश है। यदि चार पुरुषार्थ की मर्यादा में व्यक्ति को उसके विकास के सभी अवसर प्रदान किए जाए तो संसार इस श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, इसकी कल्पना वेदों में है। यह पूर्ण यानि एकात्म मानव की कल्पना है, जिसे पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद दर्शन के रूप में दिया। जो सारे जगत में अलौकिक है।

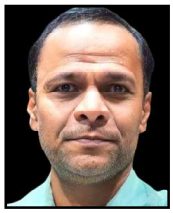

पं. दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवदर्शन भारतीय चिंतन की दो अवधारणा पर आधारित है। पहली 'वसुधैव कुटुंबकम्' का सिद्धांत और दूसरी 'चार पुरुषार्थ'।

– हेमेन्द्र क्षीरसागर

मानवधर्मी दीनबंधु दीनदयाल

पंडित जी के अनछूए जीवन प्रेरक प्रसंग प्रेरणापुंज हैं। सतुत्य, किशोरावस्था में एक बार सब्जी बाजार गए और सब्जी बेचने वाली वृद्धा को चवन्नी का भुगतान कर दिया। घर लौटते समय उन्होंने जेब टटोली, तो देखा कि वह वृद्धा को खोटी चवन्नी दे आए हैं। उनका मन इतना दुखी और द्रवित हो गया कि वह दौड़ते हुए उस वृद्धा के पास गए और उसे क्षमा प्रार्थना के साथ खोटी चवन्नी वापस लेकर खरी चवन्नी दे दी। इस क्रम में मध्य प्रदेश जाने के लिए पंडित दीनदयाल जी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ चुके थे। गाड़ी जाने में अभी आधा घंटा शेष था, जिसके कारण डिब्बे में बहुत कम

यात्री बैठे थे। इसी समय दो औरतें डिब्बे में आई और भीख मांगने लगी। पुलिस के एक सिपाही ने उन्हें देखा और उन्हें गाली देते हुए मारने लगा। पंडित जी कुछ समय तक इस दृश्य को देखते रहे, लेकिन अचानक उठकर उन्होंने पुलिस के सिपाही को पीटने से रोकने का प्रयत्न किया। पुलिस के सिपाही ने अभद्रता से कहा– "यह औरतें चोर हैं और यह तुम्हें परेशानी में डाल सकती हैं। जाओ और अपनी सीट पर बैठो, यह मेरा काम है और उसे करने में दखल मत दो।'' पंडित जी यह वाक्य सुनते ही क्रोधित हो उठे। शायद जीवन में पहली और अंतिम बार वे इस क्रोधावेश में दिखे थे। उन्होंने पुलिस के सिपाही का हाथ पकड़ते हुए कहा– मैं देखता हूं कि तुम उन्हें कैसे मारते हो। अदालत उन्हें उनके और सामाजिक कार्यों के लिए दंड दे सकती है लेकिन एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार को देखना मेरे लिए असहनीय है। पुलिस के सिपाही ने अपनी गलती को माना और क्षमा की प्रार्थना की। ऐसे एक अबला की रक्षा करने वाले मानवस्पर्शी, संवेदनशील मानवधर्मी थे, दीनबंधु दीनदयाल।

देश को समर्पित जीवन

आज राष्ट्रवाद का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसकी नींव डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित जी के साथ मिलकर दशकों पहले रखी थी। उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। कार्यकुशलता समर्पण को देखकर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि यदि मुझे दो दीनदयाल मिल जाते तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बदल देता। वह अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास चाहते थे। एक चौपाई बोलते थे परहित सरिस धर्म नाहिं भाई... दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पंडित जी ने कहा था हमें सबके लिए काम करना है। जो गरीब है, सबसे पीछे और सबसे नीचे है वह दरिद्र ही अपना भगवान है। उसकी सेवा ही भगवान की सेवा है। पंडित जी की इस भावना और विचार को क्रियान्वित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा आज मानव कल्याण की विविध योजनाएं चलाई जा रही है। पंडित जी के बताए गए मार्ग पर चलकर हम एक शक्तिशाली, गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली और संपूर्ण भारत का निर्माण करेंगे। पथ प्रदर्शक, आदर्श नायक, राष्ट्र के महानिर्माता पं दीनदयाल उपाध्याय को एक बार पुनः नमन...! वीभत्स, साल 1978 की 10 फरवरी को दीनदयाल लखनऊ से पटना जा रहे थे। इसके लिए वे सियालदाह एक्सप्रेस में बैठे लेकिन 11 फरवरी को सुबह तकरीबन 2 बजे, जब ट्रेन मुगलसराय स्टेशन पर पहुंची, तो वह ट्रेन में नहीं थे। स्टेशन के नजदीक ही उनका पार्थिव देह था। अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पं दीनदयाल उपाध्याय का महाप्रयाण आज भी एक रहस्यमय प्रसंग है? ❑❑

हेमेन्द्र क्षीरसागर (पत्रकार, लेखक)

(पृष्ठ 13 से आगे ...)

स्वदेशी अनुसंधान आधारित उद्यमिता एवं स्वावलम्बन...

पर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, जैविक कृषि हो, जिससे भूमि को और विषाक्त होने से बचाया जा सके, आर्थिक तथा भौगोलिक असमानता खत्म हो तथा धर्म पर आधारित नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित किया जा सके। ऐसा करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, कौशल तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन, नवाचार तथा सृजन शक्ति को उत्साहित करना, अनुसंधान तथा नए अविष्कारों के द्वारा भारतीय प्रज्ञा के आधार पर स्वदेशी वस्तुओं की गुणात्मकता तथा उनकी क़ीमतों को विश्व बाज़ार में प्रतियोगात्मक बनाना आदि विषयों की प्राथमिकता तथा वरीयता देने की आवश्यकता है।

भारत आज दुनिया की 18.5 प्रतिशत जनसंख्या वाला देश है किंतु आज भी हमारी राष्ट्रीय आय दुनिया की कुल आय का सिर्फ 3.5 प्रतिशत ही है, जबकि अमरीका दुनिया की जनसंख्या का सिर्फ 5 प्रतिशत होते हुए भी दुनिया की आय का 25 प्रतिशत है। चीन जो दुनिया की जनसंख्या का 18 प्रतिशत है, दुनिया की आय का भी 18 प्रतिशत है। यह विरोधाभास इसलिये है कि अमरीका ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करके अपने बौद्धिक संपदा के आधार पर पेटेंट और कापी राइट के द्वारा जो आय अर्जित करता है, वह भारत की कुल राष्ट्रीय आय की तुलना में दोगुना से भी ज़्यादा है और हाल के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका की बौद्धिक संपदा द्वारा अर्जित आय 7–6 ट्रिलियन अमरीकी डालर है। अतः भारत को 2047 में विकसित भारत बनने के संकल्प में बौद्धिक संपदा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति को प्रभावी ढ़ंग से लागू कर हमारी युवा पीढ़ी की मेधा और प्रज्ञा को आधार बनाकर अपनी स्वदेशी शोध और तकनीक के आधार पर स्वावलंबी उद्यमिता को मजबूत बनाना होगा। ❑❑

विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्णः डॉ धनपत राम अग्रवाल

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वावलम्बी भारत अभियान के तहत उद्यमी मिलन समारोह वृंदावन होटल (बीकानेर) में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संयोजक डॉ. धनपत राम अग्रवाल रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक शोध किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उद्यमी अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाएं और इनका प्रचार–प्रसार भी करें। उन्होंने कहा कि दुनिया के विकसित देश अपनी आय का पांच से दस प्रतिशत हिस्सा शोध पर व्यय करते हैं। इससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होता है। भारत में अब तक इसकी शुरूआत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग की इकाईयां क्लस्टर बनाएं और शोध कार्य करने वाले युवाओं को आमंत्रित करें। उन्होंने स्वावलम्बी भारत अभियान के बारे में बताया और कहा कि अभियान के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। स्वावलम्बी भारत अभियान के क्षेत्रीय प्रमुख अनिल वर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के प्रेरित करें, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उद्यमी सुभाष मित्तल ने बीकानेर के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में बताया और आगंतुकों का आभार जताया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक टेकचंद बरड़िया मौजूद रहे।

स्थानीय उद्यमियों ने उद्यम संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के संबंध में अपने विचार रखे। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इन परेशानियों को लिखित में स्थानीय इकाई को उपलब्ध करवाएं। इनके समाधान के लिए सरकार स्तर पर विमर्श किया जाएगा।

इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य धर्मप्रकाश शर्मा, प्रमेश अग्रवाल, प्रांत सहविचार प्रमुख अशोक जोशी, स्वावलम्बी भारत अभियान के जिला संयोजक आदित्य बिश्नोई, पूर्णकालिक कार्यकर्ता रघुवीर शर्मा, स्वदेशी जागरण मंच के श्रवण राईका आदि मौजूद रहे।

रतन टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को गौरवान्वित कियाः स्वजामं

स्वदेशी जागरण मंच ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने हमेशा भारत को गौरवान्वित किया।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि वह युवा उद्यमियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के 'स्वदेशी' आंदोलन के अग्रदूत थे।

उन्होंने कहा, ''स्वतंत्रता से पहले के 'स्वदेशी' बड़े इस्पात उद्योग की विरासत को आगे कायम रखते हुए रतन टाटा का जीवन न केवल हमारे देश में बल्कि दुनियाभर में उभरते उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।''

टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। महाजन ने कहा, ''स्वदेशी जागरण मंच भारत और दुनिया के सबसे महान उद्योग नेताओं में से एक पद्म विभूषण रतन नवल टाटा के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।''

श्री महाजन ने कहा, ''अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह इस्पात, वाहन और विमानन सहित टाटा समूह के व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर ले गए। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने हमेशा भारत को गौरवान्वित किया है।'' महाजन ने कहा कि सभी बड़े औद्योगिक घरानों में से यह टाटा समूह ही था, जिसने न केवल कोविड–19 महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों

को पूरा वेतन दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि जिन लोगों की जान चली गई, उनके परिवारों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक पूरा वेतन मिलता रहे।

https://hindi.theprint.in/india/economy/ratan-tatas-visionary-leadership-made-india-proud-swadeshi-jagran-manch/740238/

उद्यम आपको मालिक बनने का सुख देता हैः सतीश कुमार

स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत मनोहरपुर स्थित जुबिलेंट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन एवं मेरठ प्रांत बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय सह समन्वयक डा. राजीव कुमार ने बताया कि यह अभियान युवाओं को उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए देश के 700 जिलों में चलाया जा रहा है।

मुख्य अतिथि के रूप में स्वदेशी जागरण के मंच के अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि अंग्रेज भारत से लाखों करोड़ लूट कर ले गए परंतु उससे भी बड़ा नुकसान यह कर गए कि भारतीयों के मन में नौकरी के प्रति सम्मान और मोह पैदा कर गए। नौकरी चाहे कितनी भी बड़ी हो वह आपको गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं दे सकती, उद्यम चाहे कितना भी छोटा हो वह आपको मलिक बनने का सुख देता है। संस्थान के निदेशक डा. दीपक मित्तल ने कहा कोई भी उद्यमी बन सकता है, सिर्फ उसके लिए उसे हिम्मत चाहिए। संस्थान से पढ़कर निकले युवा उद्यमियों रामावतार गंगवार, विशाल बाबू और रवि कुमार को कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए सम्मानित किया गया।

संचालन प्रांत संयोजक कपिल नारंग ने किया। कार्यक्रम के पश्चात मेरठ प्रांत की बैठक हुई जिसमें अमोद कुमार शर्मा को स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक के दायित्व की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत अभियान प्रांत समन्वयक कुलदीप सिंह, प्रांत सह संपर्क प्रमुख डा. एके अग्रवाल, विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा, डा. राजेश अग्रवाल, मीनू अरोड़ा, पूनम चौहान, प्रशांत महर्षि समेत संस्थान के छात्र–छात्राओं ने प्रतिभा किया।

उद्यमिता से दूरी ने दिया बेरोजगारी को जन्मः डॉ. धनपत राम

स्वालम्बी भारत अभियान के तहत नागौर में माली समाज की धर्मशाला में स्वाबलंबन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सह प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं देश के जाने माने बौद्धिक संपदा अधिकार विशेषज्ञ डॉ धनपतराम अग्रवाल ने देश में युवाओ की बेरोजगारी की समस्या का कारण देश के युवाओ का उद्यमिता के स्थान पर सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान लेना है। अपने राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर प्रवास के बाद नागौर प्रवास पर गुरुवार को नागौर में आयोजित संगोष्ठी पर अपने विचार रखते उन्होंने बताया कि भारत विश्व की पांचवी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है । अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर की है जबकि चीन की लगभग 19 जबकि भारत की लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। जनसंख्या के अनुपात में तुलना की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में तेजी से विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनती जा रही है जिसमें युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्होंने युवाओं से अपनी शक्ति को पहचानने और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में बदलने का आव्हान किया।

संगोष्ठी में स्वावलम्बी भारत अभियान राजस्थान के समन्वयक अनिल कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की 45 ट्रिलियन डॉलर से अधिक सम्पदा को भारत से अपने देश ब्रिटेन में ले गए उनकी नीतियों से ही भारत के कृषि, लघु और कुटीर उद्योग में रुकावट डाल कर सरकारी नोकरियाँ की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि हमे सभी युवाओ के रोजगार की स्थिति लाने के लिए विकेंद्रीकरण, स्थानीय, उद्यमिता एवं सहकारिता का मॉडल अपनाना होगा स्वावलम्बी भारत अभियान नागौर की टोली ने सभी अतिथियों एवं उद्यमियों का स्वागत किया। क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख ने नए दायित्वों की घोषणा की जिसमें रमेश सोलंकी को नागौर जिला संयोजक राजेश

देवड़ा को जिला सह संयोजक, शुभम अग्रवाल को जिला विचार प्रमुख, जितेंद्र शर्मा को जिला प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के भोजराज सारस्वत ने अपनी उद्यम यात्रा का वर्णन करने के साथ सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक माननीय मुकेश जी भाटी ने अध्यक्ष रहे। जिला प्रचारक राजेश कुमार, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण, रीको के सहायक क्षेत्र प्रबंधक मनीष यादव, जिला रोजगार अधिकारी राघवेंद्रसिंह, जीरा उद्यमी बनवारी लाल अग्रवाल, हँड टूल्स के सनद जैन को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। संचालन स्वदेशी जागरण मंच के रमेश सोलंकी ने किया। विकास खिलेरी ने आभार व्यक्त किया।

बेरोजगारी महामारी की सफल वैक्सीन का नाम है उद्यमिताः सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच, स्वावलंबी भारत अभियान, आईसीएआर–अटारी जबलपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा किसानों और ग्रामीण परिवेश के युवाओं को कृषि में तकनीकी अपनाने और प्रोसेसिंग को शामिल कर खेती को उद्यमिता का स्वरूप देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य हर–घर उद्यमिता तथा प्रत्येक परिवार की आय को तीन से चार गुना बढ़ाना है। जिससे ग्रामीण युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक श्री सतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा, "बेरोजगारी महामारी की सफल वैक्सीन का नाम है उद्यमिता।" उन्होंने बताया कि जब समाज और संस्थान एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो बड़े परिणाम आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अगर ये दोनों घटक डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो परिणाम अपेक्षित रूप से बेहतर नहीं निकलते। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज, संस्थान और संगठन मिलकर एक साथ उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में काम करें। जब सभी मिलकर सामूहिक रूप से काम करेंगे, तो परिणाम निश्चित रूप से प्रभावशाली और बेहतर होंगे। अगर किसानों और ग्रामीण युवाओं के संदर्भ में सोचें, तो उनके सामने फसल काटने के बाद उसे बेचने का दबाव होता है। ज्यादातर किसान उधारी चुकाने या खेती के लिए जरूरी सामग्री जैसे कि खाद और बीज खरीदने के लिए फसल कटाई के तुरंत बाद उसे बेचने के लिए मजबूर होते हैं। अक्सर वे अपनी उपज मंडी में बेचने के लिए एमएसपी (सामूहिक खरीद) का सहारा लेते हैं, जिससे उनकी आय सीमित हो जाती है। किसानों को इस सोच से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि वे अपनी फसल की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग स्वयं करें और उसे सीधे बाजार में उतारें। इससे न केवल उनकी एसपी पर निर्भरता खत्म होगी, बल्कि उनकी आय भी तीन से चार गुना तक बढ़ जाएगी।

श्री कुमार ने कहा कि आर्थिक विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उद्यमिता का विस्तार हर घर तक पहुंचेगा। यह जरूरी है कि किसान और ग्रामीण युवा अपनी खेती को सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित न रखें, बल्कि उसे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और विपणन से जोड़कर उद्यमिता में बदलें। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनेंगे। इस समझौते के जरिए खेती में नई तकनीकों के उपयोग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। यह समझौता सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और कृषक संगठनों के बीच एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के विकास में तेजी लाना और किसानों की आय को कई गुना बढ़ाना है।

अटारी के डायरेक्टर डॉ एस आर के सिंह ने कहा कि इस समझौते के प्रमुख उद्देश्य हैं – 15 मिलियन ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को स्थायी आजीविका प्रदान करना और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकना है। इसके साथ ही, 80 जिलों के किसानों को नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आधुनिक कृषि उद्यमों का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है। समझौता हरित विकास को बढ़ावा देता है, जिसके तहत पर्यावरण–अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, यह सहयोग तकनीकी नवाचारों जैसे कि ड्रोन और अकके उपयोग से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान, का कार्य होगा कि वह जमीनी स्तर पर उद्यमिता विकास के लिए प्रेरित करें। यह संगठन कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएगा, वंचित समुदायों को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करेगा और युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। संगठन की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक पहल और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समन्वय स्थापित करे, जिससे ग्रामीण विकास को गति दी जा सके।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर कौशल कार्यशाला का आयोजन

संगम विश्वविद्यालय (भीलवाड़ा) के कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा स्वावलंबन भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर डॉ. धनपत राम अग्रवाल की उपस्थिति में कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। संगम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने स्वागत उद्‌बोधन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु ऐसे आयोजनों के महत्व को रेखांकित किया। प्रोफेसर सतीश आचार्य ने कार्यक्रम की रूपरेखा और मुख्य वक्ता का परिचय करवाया। मुख्य वक्ता डॉ धनपत राम अग्रवाल, स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक ने अपने उद्‌बोधन में अनेक पहलुओं को शामिल करते हुए भारत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं में विश्व की बड़ी शक्ति के रूप में आगे आने की भविष्यवाणी की, साथ ही बताया कि आर्थिक पक्ष में हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को पछाड़ता हुआ विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत का जागरूक युवा, जो अब नौकरी माँगने के स्थान पर नौकरी देने की प्रवृत्ति हेतु अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर रहा है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि जिस देश की युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग उस देश की अस्मिता और अखंडता के निर्माण में लगाती है उस देश को विश्व पटल पर पहचान मिलती ही है। उप कुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही ने विद्यार्थियों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते हुए कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु आभार किया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने ऐसे बौद्धिक कार्यक्रमों की सराहना की।

विश्वविद्यालय कौशल एवं उद्यमिता के उपनिदेशक डॉ. मनोज कुमावत ने यह आयोजन युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. सतीश आचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संयोजिका प्राचार्य रूपी देवी कॉलेज डॉ. ज्योति वर्मा ने तथा डॉक्टर शंकर लाल माली ने भी केंद्रीय विषय पर उद्‌बोधन दिया। इस अवसर पर प्रो के के शर्मा, डॉ प्रवीण सोनी डॉ मुकेश शर्मा, डॉ सोमकुवर के साथ फामेर्सी, मैनेजमेंट और लॉ के शिक्षकगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. अवधेश कुमार जोहरी ने किया।

स्वदेशी जागरण मंच ने किया उद्यमित्ता का सम्मान

सामोद कस्बे के श्री महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान

के तहत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अभियान के मुख्य वक्ता धर्मेन्द्र कुमार शर्मा संस्था निदेशक रामलाल सैनी कुन्दन सैनी व पवन सैनी ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दीप ज्योति परम ज्योति मंत्र का उच्चारण किया। कार्यक्रम में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत जिन उद्यमियों ने अर्थ व रोजगार सृजन हेतु उल्लेखनीय योगदान दिया उन्हें सम्मान पत्र से विभूषित किया गया। ऐसे ही ग्रामीण परिवेश में निम्न स्तर से कौशल रोजगार की शुरूआत करने वाले संस्था निदेशक रामलाल सैनी कुन्दन सैनी व पवन सैनी ने अपने निजी स्किल वर्क को रोजगारयुक्त बनाने का काम किया हैं। इन उद्यमियों के साथ इनकी टीम ने कडी मेहनत व लगन से इनका साथ दिया और ग्रामीण परिक्षेत्र में अपने कार्य के प्रति चार चांद लगा दिए।

स्वदेशी जागरण मंच के मुख्य प्रान्त प्रमुख वक्ता धर्मेंद्र कुमार शर्मा, जिला संगठन मंत्री देवदत्त शर्मा, नगर संयोजक सांवर मल जांगिड, तहसील संयोजक बलवन्त सिंह मीणा, सह तहसील संयोजक अशोक सैनी व विभाग संयोजक गोपाल सैनी ने उधमिता रामलाल सैनी कुन्दन सैनी व पवन सैनी को स्वदेशी जागरण मंच का दुपट्टा पहनाकर प्रस्ति सम्मान पत्र प्रदान किया और समस्त विद्यार्थी वर्ग को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया गया।

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास

स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत मनोहरपुर स्थित जुबिलेंट एग्रीकल्चर रूरल डवलपमेंट सोसाइटी में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन एवं मेरठ प्रांत बैठक का आयोजन किया गया। अभियान के अखिल भारतीय सह समन्वयक डा. राजीव कुमार ने बताया कि यह अभियान युवाओं को उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए देश के 700 जिलों में चलाया जा रहा है। यह अभियान 37 करोड़ युवाओं की मानसिकता बदलने, उन्हें उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने एवं सहायता करने हेतु चलाया जा रहा है।

मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेज

भारतीयों के मन में नौकरी के प्रति सम्मान और मोह पैदा कर गए। आमोद कुमार शर्मा, कुलदीप सिंह, डा. एके अग्रवाल, विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा, डा. राजेश अग्रवाल, मीनू अरोड़ा आदि रहे।

उद्यमिता युक्त विकसित भारत ही विश्व मंगल की गारंटीः प्रो. बीपी शर्मा

स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वाबलंबी भारत अभियान के अंतर्गत डिपार्टमेंट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में 'स्वदेशी विचार– स्वावलंबन का आधार' विषयक विशेषज्ञ – विद्यार्थी संवाद का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सह प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक जगदीश प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली थे।

कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए स्वावलंबी भारत अभियान के क्षेत्र समन्वयक अनिल वर्मा ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में जहां इंस्पेक्टर राज तथा कोटा परमिट लागू करके देश को कृषि तथा विनिर्माण से दूर किया जिसके जिसके कारण युवाओं में 'नौकरी ही रोजगार' की प्रवृत्ति पैदा हुई। भारत का युवा यदि उद्यमिता से जुड़ जाए तो विश्व की जीडीपी में 33 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे सकता है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शहर विधायक अतुल भंसाली ने महाविद्यालयी विद्यार्थियों के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यार्थियों को भी शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ स्वरोजगार से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र विशेष में जिस रोजगार की अधिक आवश्यकता है उसे स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

सीबीएस साइबर सिक्योरिटी की संस्थापक उद्यमी श्रीमती स्वाति वशिष्ठ ने कहा कि आज डिजिटलाईजेशन जीवन के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है और उसके बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन की महत्व को बताया। साथ ही विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे डिजिटल अरेस्ट, साइबर अटैक का वर्णन करते हुए डाटा सिक्योरिटी पर बल दिया। उन्होंने युवाओं से नई उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोबलम आईडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन डिजाइन तथा तकनीकी इनोवेशन की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि आज देश की जनसंख्या 143 करोड़ है जो यूरोप के 50 देश तथा लैटिन अमेरिका के 26 देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भारत में सर्वाधिक खेती योग्य 18 लाख हेक्टेयर जमीन है। भारतीयों में उद्यमिता कूट–कूट कर भरी है। उन्होंने कहा कि आज देश में 15 से 64 वर्ष की क्रियाशील आयु के लगभग 90 करोड़ लोग हैं यदि यह कार्यशील जनसंख्या उधमिता से जुड़े तो 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था के 4 ट्रिलियन कि लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के संस्थापक जगदीश राज महिंद्रा, अमूल कोऑपरेटिव सोसायटी तथा श्रीमती किरण मजूमदार शॉ तथा उनकी मां यामिनी मजूमदार का उदाहरण देते हुए कहा की न केवल शिक्षित युवा बल्कि अशिक्षित भी किसी भी उद्यमिता में पहल कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड मैन्युफैक्करिंग इंडस्ट्री में भारत की कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया। स्वदेशी अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने जापानियों का उदाहरण देते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पादों का आधिकारिक उपयोग करने का आवाहन किया।

उन्होंने कहा कि स्वावलंबन व स्वदेशी हमारे सामाजिक व पारिवारिक जीवन मूल्यों को प्रभावित करेगा। अतः हमें स्वदेशी भाव जागृत करके स्वदेशी विचार, स्वदेशी व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। वर्तमान नौकरियों के आंकड़े की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आज सरकारी तथा संगठित क्षेत्र की निजी कंपनियों को मिलाकर भी नौकरी नहीं दी जा सकती। केवल 7 प्रतिशत हो ही नौकरी मिल सकती है। शेष 93 प्रतिशत जनसंख्या को जीवनयापन का आधार आज भी कृषि, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र है। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई करने के साथ–साथ अपने अंदर कौशल विकास कर उद्यमिता की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया।

कार्यक्रम को युवा उद्यमी दीपक अग्रवाल, लघु उद्योग भारती जोधपुर हरवानी तथा स्वदेशी जागरण मंच के महानगर की महिला प्रमुख मोना अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ धर्मेंद्र दुबे ने संबोधित किया। संचालन विभाग संयोजक रमेश सोनी ने किया तथा धन्यवाद जिला सहसंयोजक सुरेंद्र चौधरी ने किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर डी कुमार, कॉमर्स फैकल्टी के डीन प्रो सुनील मेहता, अधिवक्ता सुरेंद्र बाघमलानी, रोहिताश, जितेंद्र मेहरा, विकास खिलेरी सहित उद्यमी, शोधार्थी व महाविद्यालय विद्यार्थी उपस्थित रहे। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

सचित्र झलक

मण्डी, हि.प्र.

बरेली, उ.प्र.

इंदौर, म.प्र.

कोणार्क, उड़ीसा

काशी

लखनऊ

सहारनपुर

बिजनौर, उ.प्र.

पुरी, उड़ीसा

पीलीभीत, ब्रज

एटा, उ.प्र.

खुरई, मणिपुर

राउरकेला, उड़ीसा

धामपुर, बिजनौर

शाहजहांपुर, ब्रज

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अक्टूबर 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

सचित्र झलक

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती